

भारत सरकार

वित्त विधेयक, 2025 के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(जिन खंडों के प्रतिनिर्देश किया गया है वे विधेयक के खंड हैं)

वित्त विधेयक, 2025

प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2025 (जिसे इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है), कर राहत के माध्यम से प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार को जारी रखने, करदाताओं के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने और विभिन्न उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए, आय-कर अधिनियम,1961 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। विधेयक भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 [यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002] का भी संशोधन करता है।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से, संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं:-

- (क) आयकर की दरें;
- (ख) विनिधान तथा नियोजन के संवर्धन के उपाय;
- (ग) सरलीकरण तथा स्व्यवस्थीकरण;
- (घ) समाजिक आर्थिक कल्याण उपाय;
- (ङ) कर प्रशासन;

प्रत्यक्ष कर

क. आयकर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय की बाबत आयकर की दरें

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कर के प्रति दायी निर्धारीतियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आयकर की दरों को या तो अधिनियम की विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 115खकक या धारा 115खकख व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुंब एओपी (सहकारी सोसाइटी से भिन्न)/बीओआई/ एजेपी के लिए 115खकग और सहकारी सोसाइटीयों के लिए धारा 115खकघ या धारा 115खकड.) या विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग । में विनिर्दिष्ट किया गया है । इन विनिर्दिष्ट धाराओं में या पहली अनुसूची में कर की दरों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है । निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए धारा 115खकक या 115खकख या 115खकग या 115खकघ या धारा 115खकड. में उपबंधित दरें वहीं होंगी जो पहले से ही अधिनियमित है । इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए "अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजन के लिए, 'वेतन' से स्रोत पर कर कटौती और कितपय दशाओं में सदैव कर के प्रभार्य के लिए वित्त (सं.2)अधिनियम 2024 के लिए पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित दरें अब पहली अनुसूची का भाग 1 बन जाएंगी। भाग ॥ अब निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगे ।

धारा 115खकग के अधीन कर की दरें-

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए, अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अनुसार कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त क्ट्रम्ब या व्यक्तियों के संगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यक्तियों के निकाय,

चाहे निगमित हो या ना हो या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम व्यक्ति को निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भ्गतान करना होगा -

कुल आय (रु)	दर
3,00,000 तक	शून्य
3,00,001 से 7,00,000 तक	5 प्रतिशत
7,00,001 से 10,00,000 तक	10 प्रतिशत
10,00,001 से 12,00,000 तक	15 प्रतिशत
12,00,001 से 15,00,000 तक	20 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

- 2. धारा 115खकग की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार जब तक किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है, ऊपर उल्लिखित दरें लागू होंगी। अतः अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरें व्यतिक्रम दरें हैं।
- 3. अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर संघ के प्रयोजनों के लिए, संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या न, या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में,—
- (i) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सिम्मिलित है) पचास लाख से अधिक है किंतु ऐसे आयकर की 10 प्रतिशत की दर पर एक करोड़ रूपए से अनिधिक है;
- (ii) जिसकी कुल आय(जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सिम्मिलित है) एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु ऐसे आयकर की 15% की दर पर दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है; और
- (iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय अपवर्जित है) ऐसे आयकर की 25% की दर पर दो करोड़ से अधिक है;
- (iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु ऐसे आयकर की 15% की दर पर उपरोक्त खंड(iii) के अधीन नहीं आता है।
- 3.1 उस दशा में जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू हैं तथा कुल आय में आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से किसी आय

को कुल आय में सम्मिलित करती है, आय की इस भाग के संबंध में आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3.2 और, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम तथा धारा 115खकग की उपधारा 1क के अधीन जिसकी आय कर प्रभार्य है, आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 3.3. ऐसे मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाएगी।

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1 के अधीन कर की दरें

(क). व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त क्टंम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग (1) का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:-

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii)में जो वर्णित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-1 को कोई पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:-

 2,50,000 रुपए तक
 शून्य

 2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक
 5 प्रतिशत

 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक
 20 प्रतिशत

 10.00,000 रुपए से अधिक
 30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,-

 3,00,000 रुपए तक
 शून्य

 3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक
 5 प्रतिशत

 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक
 20 प्रतिशत

 10,00,000 रूपए से अधिक
 30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,-

 5,00,000 रुपए तक
 शून्य

 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक
 20 प्रतिशत

 10,00,000 रुपए से अधिक
 30 प्रतिशत

ये वही दरें हैं जो निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू की गई है।

(ख) सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों की दशा में आयकर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट किया गया है । वे (10,000 रुपये तक 10 प्रतिशत 10,001 रुपये और 20,000 रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 20,000 रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

(ग) फर्म

फर्मों की दशा में आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के पैरा ग में निर्दिष्ट की गई है । वे 30 प्रतिशत पर अपिरवर्तित हैं ।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -1 के पैरा घ में निर्दिष्ट की गई है । वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं ।

(इ.) कंपनियां

कंपनियों की दशा में आयकर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ड. में निर्दिष्ट की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2024-25 की दरों के मुकाबले अपरिवर्तित रहेंगी। देशी कंपनी की दशा में आयकर की दर कुल आय का 25 प्रतिशत होगी यदि पूर्व वर्ष 2022-23 की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रूपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी दशाओं में आयकर की दर कुल आय का 30 प्रतिशत होगी।

2. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में विशेष दरों पर प्रभारित आय से भिन्न कुल आय पर आयकर की दर 35 प्रतिशत होगी।

(1) आयकर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए आयकर की रकम पर अधिभार की दर वही होगी जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्दिष्ट है। अधिभार विनिर्दिष्ट निधि(धारा 10 के खंड 4 (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट) की आय पर संगणित आयकर पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा(1) के खंड (क) के अधीन प्रभार्य है। और, अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(1क) के अधीन उस व्यक्ति के लिए जिसकी आय कर प्रभार्य है,ऐसे व्यक्ति की आय या संकलित आय पर 37 प्रतिशत की दर से अधिभार (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के माध्यम से आय या आय अपवर्जित है) 5 करोड़ से अधिक होने पर लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में सीमांत अधिभार 25 प्रतिशत तक है।

(2) सीमांत राहत-

जिन मामलों में अधिभार अधिरोपित करना प्रस्तावित है, उन सभी मामलों में सीमांत राहत का भी उपबंध किया गया है।

(3) शिक्षा उपकर-

निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" इस तरह संगणित आयकर की रकम पर 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित है इसमें सभी मामलों में जहां लागू होता है अधिभार सम्मिलित है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से वितीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2025-26 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान धारा 193, 194क, 194ख, 194खख, 194घ, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग और 195 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें विधेयक की पहली अन्सूची के भाग ॥ में निर्दिष्ट की गई हैं।

- 2. यह प्रस्तावित है कि बीमा कमीशन के माध्यम द्वारा 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 194घ (बीमा कमीशन का संदाय) के द्वारा किए गए संशोधनों की दृष्टि में आय के स्रोत पर आयकर कटौती के लिए प्रवृत्त दरें 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक घटा दी जाएगी।
- 3. उन धाराओं के लिए जो स्रोत पर कर की कटौती की दर विनिर्दिष्ट करते हैं, अधिनियम की सुसंगत धाराओं के उपबंधों के अनुसार कर में कटौती जारी रहेगी।
- 4. उपरोक्त के अलावा, दरें समान रहेंगी चूंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजन के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की पहली अनुसूची के भाग 2 में वे विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. संघ के प्रयोजनों के लिए आयकर की रकम का अधिभार वही होगा जैसा वे वितीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्दिष्ट है।
- 6. "स्वास्थ्य शिक्षा उपकर भारत में अनिवासी व्यक्तियों के मामले में, जिसमें देशी कंपनी से भिन्न कंपनी सम्मिलित है,जहां लागू हो अधिभार सहित आयकर की 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित होता रहेगा।

III. "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, "अग्रिम कर" की संगणना और वित्त वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के दौरान विशेष मामलों में आयकर प्रभार।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान "वेतन" से या अधिनियम की धारा 194त के अधीन की कटौती की दरें और निर्धारिती की सभी श्रेणियों के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय "अग्रिम कर"की संगणना के लिए विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दरें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उन आय पर कर लगाने के लिए भी लागू होती है, जिन मामलों में त्वरित निर्धारण किया जाना है, उदाहरण के लिए, अनिवासियों को भारत में होने वाले नौवहन मुनाफे का अनंतिम निर्धारण, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण वितीय वर्ष के दौरान अच्छे लोगों के लिए,जो कर से बचने के लिए संपत्ति स्थानांतरित करने की संभावना रखते हैं, कम अविध के लिए गठित निकायों का आकलन, आदि। पिछले वर्ष से कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त भाग III में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैं-

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति ।

निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी, यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(1क) के खंड(iii) अधीन उपबंधित दरें, कुल आय के संबंध में, किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से सिवाय), या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या न, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के कर संदाय अवधारण करने के लिए व्यतिक्रम के रूप में लागू होंगी:-

कुल आय (रु)	दर
4,00,000 तक	शून्य
4,00,001 से 8,00,000 तक	5 प्रतिशत
8,00,001 से 12,00,000 तक	10 प्रतिशत
12,00,001 से 16,00,000 तक	15 प्रतिशत
16,00,001 से 20,00,000 तक	20 प्रतिशत
20,00,001 से 24,00,000 तक	25 प्रतिशत
24,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

- 2. तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा (6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, भाग III की पहली अन्सूची में यथा उपबंधित दरें लागू होंगी।
- 3. विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा क में आयकर की निम्नलिखित दरें उपबंधित की जाती हैं:-
- (i) प्रत्येक व्यष्टि (नीचे उल्लखित (ii) और (iii) से भिन्न या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टिकों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैरा लागू होता है) आयकर की दरें निम्नान्सार हैं:-

2,50,000 रुपये तकशून्य2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक5 प्रतिशत5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक20 प्रतिशत10,00,000 रुपये से अधिक30 प्रतिशत

(ii) प्रत्येक व्यष्टि के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है, -

 3,00,000 रुपये तक
 शून्य

 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक
 5 प्रतिशत

 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक
 20 प्रतिशत

 10,00,000 रुपये से अधिक
 30 प्रतिशत

(iii) प्रत्येक व्यष्टि के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते,जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आय् का है,-

 5,00,000 रुपये तक
 शून्य

 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक
 20 प्रतिशत

10,00,000 रुपये से अधिक 30 प्रतिशत

- 4. इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंधों (धारा111क, 112 और 112क के अधीन पूंजी लाभ सहित) पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को निम्नलिखित दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,-
 - क. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;
 - ख. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रूपये से अधिक ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से:
 - ग. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रूपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;
 - घ. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोडकर) पांच करोड़ रूपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;
 - ड. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोडकर) दो करोड़ रूपये से अधिक है लेकिन खंड(ग) और (घ) के अधीन कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से लागू होगा;
- 4.1 परंतु कुल आय में अधिनियम की धारा 111क ,112 और अधिनियम की धारा 112क के अधीन लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय भी सिम्मिलित है, की दशा में,तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.2 परंतु यह और कि केवल कंपनियों के सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 4.3 और, जहां कोई व्यक्ति जिसकी आय अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य है, आय पर 37 प्रतिशत की दर पर अधिभार या ऐसे व्यक्ति की आय का सकंलन (अधिनियम की धारा 111, धारा 112तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम द्वारा आय के सिवाय) पांच करोड़ से अधिक होना, लागू नहीं होगा । ऐसे मामलों में अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्वधित कर दिया जाएगा । और, ऐसे व्यक्तियों की दशा में अध्याय 12 या अध्याय 12-क के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय पर अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्वधित रहेगा ।
- 5. अधिभार के मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाती है ।

ख. सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों के मामले में, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ख में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है । ये दरें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेगी । ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ से अधिक नहीं है, के मामले में आयकर कि राशि पर सात प्रतिशत की दर से अधिभार बढाया जाएगा । ऐसी सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसकी कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है, अधिभार की दर बारह प्रतिशत से उद्ग्रहित होना जारी रहेगी ।

- 2. अधिभार की दशा में सीमांत राहत उपबंधित है।
- 3. कतिपय शर्तों का समाधान करने पर, भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी को धारा 115खकघ के उपबंधों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का विकल्प है । ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ से अधिक है।

घ.स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय-कर पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रूपए से अधिक है।

ड.कंपनीयां

कंपनीयों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा इ में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर पूर्व वर्ष 2023-24 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार सौ करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और जहां कंपनीयां धारा 115खक रीजीम में रहना जारी रखती हैं। अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी तथापि घरेलू कंपनियों के पास अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन, इनमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर, कराधान के लिए विकल्प होगा। धारा 115खकक में कर की दर 22 प्रतिशत है। ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा।

- 2. देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में कर की दरें विशेष दरों पर प्रभार्य आय से भिन्न आय पर, कुल आय का 35 प्रतिशत होगी
- 3. किसी देशी कंपनी की दशा में (अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115 खकख के अधीन कराधान के लिए विकल्प लिया है से भिन्न) सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा । यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से कम है । यदि देशी कंपनी (उनके सिवाय जिन्होंने अधिनियम की धारा 115खकक तथा 115 खकख के अधीन कराधान का विकल्प लिया है), से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा ।
- 4. देशी कंपनीयों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीतिकया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनाधिक है । पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहित होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है ।

- 5. सभी मामलों में अधिभार में सीमांत राहत उपबंधित की गई है ।
- 6. अन्य मामलों में, (जिनके अंतर्गत धारा 92गड. की उपधारा (2क),115थक, 115द या 115नक या 115नघ भी है) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा ।
- 7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, सभी मामलों में "आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर चार प्रतिशत की दर से उद्गृहित किया जाता रहेगा । ऐसे उपकरों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

IV. धारा 87क के अधीन रिबेट

अधिनियम की धारा 87क के उपबंधों के अधीन भारत में निवासी व्यष्टिक रूप में कोई निर्धारीति जिसकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे आयकर संदेय की रकम का 100% रिबेट उपबंधित की जाती है अर्थात् कोई व्यष्टिक जिसकी आय 5 लाख तक है, से कोई आयकर संदेय करना अपेक्षित नहीं है।

- 2. वित्त अधिनियम, 2023 से उक्त धारा में परंतुक अंतःस्थापित किया गया जिससे उन मामलों में जहां ऐसे निर्धारीति की कुल आय धारा 115खकग की उपधारा(1क) के अधीन कर प्रभार्य है, आयकर में रिबेट उपबंध की जा सके। धारा 87क का परंतुक ऐसे व्यष्टिकों की दशा में 25000 रूपये तक की आयकर रिबेट का उपबंध करता है, जहां कुल आय 700000 रूपये से अधिक नहीं है(उक्त परंतुक का खंड(क)) और धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर प्रभार्य आय, जहां कुल आय 700000 रूपये से अधिक है(उक्त परंतुक का खंड(ख)) सीमांत अन्तोष का उपबंध करता है।
- 3. धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध अध्याय 12 के अन्य उपबंधों के अधीन है अर्थात् कितपय विशेष मामलों में कर का अवधारण। यद्यपि, धारा 87क का परंतुक स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि अध्याय 12 के विभिन्न उपबंधों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विशेष दरों(उदाहरणतया धारा 111क, 112 आदि के अधीन पूंजी अभिलाभ) पर प्रभारित आय पर कर को, धारा 87क के पहले परंतुक के अधीन आयकर रिबेट का अवधारण करने के दौरान सिम्मिलित नहीं किया जाता है।
- 4. निर्धारण वर्ष 2026-27 से आगे, भारत में व्यष्टिक निवासी के रूप में कोई निर्धारीति, जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर प्रभार्य है, यह प्रस्तावित है कि:-
- (i) धारा 87क के अधीन पहले परंतुक के खंड (क) और (ख) में कुल आय के लिए रिबेट की सीमा बढ़ाई जाए, जिस पर धारा 115खकग की उपधारा(1क) के अधीन आयकर की दरों के अनुसरण में संदेय आयकर, 700000 रुपये से 1200000 रुपये और धारा 87क के पहले परंतुक के खंड (क) में रिबेट की सीमा 25000 रुपये से 60000 रुपये तक।
- (ii) धारा 87क में नए परंतुक के अंतःस्थापन द्वारा पहले परंतुक को सुव्यवस्थित किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि पहले परंतुक के अधीन कटौती, धारा 115खकग की उपधारा (1क) में उपबंधित दरों के अनुसरण में आयकर संदेय की रकम से अधिक नहीं होगी।
- 5. और, उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित अनुसार, आयकर की ऐसी रिबेट विशेष दरों पर प्रभार्य आय के कर पर उपलब्ध नहीं है(उदाहरणतया धारा 111क, 112 आदि के अधीन पूंजी अभिलाभ)।

[खंड 2, 20, 24 और पहली अनुसूची]

ख.विनिधान तथा नियोजन के संवर्धन के उपाय

I. अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र को प्रोत्साहन

अतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र(आईएफएससी) एक अधिकारिता है जो भारतीय रुपये के सिवाय किसी भी मुद्रा में वर्तमान विनियमों के अधीन अनुज्ञेय के विस्तार के लिए अनिवासियों तथा निवासियों को वित्त सेवाओं का उपबंध करता है। भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास के संवर्धन के लिए, पिछले कुछ वर्षों से अधिनियम के अधीन आईएफएससी में अवस्थित यूनिटों को अनेक कर रियायतें उपबंधित की जा चुकी हैं।

आईएफएससी से प्रचालनों के और प्रोत्साहन के लिए, निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है:-

II. आईएफएससी से संबंधित अनेक कर रियायतों के लिए सनसेट तारीखों का विस्तार

धारा 47 के खंड(viiकघ) तथा धारा 10 के खंड (4घ), खंड(4च), खंड(4ज), धारा 80ठक की उपधारा(2) के खंड, अनेक कर रियायतों के लिए आईएफएससी यूनिट के प्रचालनों के प्रारंभ के लिए सनसेट तारीखें, 31 मार्च, 2030 तक विस्तारित करना प्रस्तावित है।

2. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगें।

[खंड 6,13 और 19]

III. आईएफएससी बीमा कार्यालयों से जीवन बीमा पॉलीसी पर छूट

धारा 10घ का खंड 10घ, इसमे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, जीवन बीमा पॉलीसी के अधीन प्राप्त राशि की छूट का उपबंध करता है जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलीसी पर बोनस के माध्यम द्वारा आबंटित राशि भी है। उक्त उपबंध आईएफएससी बीमा कार्यालयों द्वारा जारी बीमा पॉलीसियों को भी लागू हैं।

- 2. उक्त खंड के परंतुक(चौथा, पांचवां, छठा और सातवां परंतुक), अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करते हैं कि उक्त खंड के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है, यदि प्रीमियम या कुल प्रीमियम की वार्षिक संदेय रकम, यूनिट से जुड़ी हुई बीमा पॉलीसियों के लिए 2.5 लाख रूपये से अधिक है तथा यूनिट से जुड़ी हुई बीमा पॉलीसियों से भिन्न बीमा पॉलीसियों के लिए 5 लाख रूपये से अधिक है
- 3. अन्य विदेशी अधिकारिता के मुकाबले आईएफएससी में बीमा कार्यालय से जीवन बीमा प्राप्त करने वाले अनिवासी को समानता का उपबंध करने के लिए, धारा 10 के खंड 10घ का संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि आईएफएससी बीमा मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलीसी पर प्राप्त आगम पर, उपर वर्णित अनुसार प्रीमियम की अधिकतम संदेय रकम पर बिना शर्त छूट दी जाएगी।
- 4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगें।

[खंड 6]

IV. आईएफएससी में पोत पट्टा यूनिट के लिए पूंजी अभिलाभ और लाभांश को छूट

धारा 10 का खंड (4ज) वायुयान पट्टे में लगे हुए आईएफएससी की यूनिट के रूप में देशी कंपनियों के साम्या शेयरों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ कर पर वायुयान पट्टे में लगे अनिवासियों या आईएफएससी की यूनिट को छूट का उपबंध करता है। और, धारा 10 का खंड (34ख) वायुयान पट्टे में लगे आईएफएससी की यूनिट को, वायुयान पट्टे में लगे आईएफएससी की यूनिट के रूप में कंपनी द्वारा संदत्त लाभांश को छूट का उपबंध करता है।

- 2. यह प्रतिवेदन किया गया है कि वायुयान पट्टा कारबार की तरह पोत पट्टा कारबार में विनिधानकर्ताओं की संरक्षा हेतु एक या अधिक जलयानों के लिए पृथक विशेष प्रयोजन यान(एसपीवी) बनाये जाते हैं। इसलिए, वायुयान पट्टे की तर्ज पर, निम्नलिखित में छूट का विस्तार करना प्रस्तावित है:-
- (I) धारा 10 के खंड(4ज) में पोत पट्टे में लगे आईएफएससी की यूनिट के रूप में देशी कंपनियों के साम्या शेयरों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ कर पर, पोत पट्टे में लगे अनिवासी या आईएफएससी की यूनिट।
- (II) धारा 10 के खंड(34ख) में, पोत पट्टे में लगे आईएफएससी की यूनिट के रूप में लगी कंपनी द्वारा पोत पट्टे में लगे आईएफएससी की यूनिट को संदत्त लाभांश।
- 3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगें।

[खंड 6]

V. आईएफएससी में खजाना केंद्रों के लिए 'लाभांश' की परिभाषा का सुव्यवस्थिकरण

धारा 2 के खंड 22 का उपखंड(ड.), अन्य बातों के साथ, उपबंध करता है कि लाभांश के अंतर्गत किसी कंपनी(उस कंपनी के रूप में नहीं जिसमें जनता सारभूत रूप से हितप्रद हो) द्वारा किसी शेयरधारक को अग्रिम या ऋण के माध्यम द्वारा कोई राशि संदत्त की गई है, भी आती है, जहां शेयरधारक मतदान शक्ति के 10% से अन्यून शेयरधारण करने का फायदाग्राही स्वामी है, या ऐसा कोई समुत्थान जिसमें ऐसा शेयरधारक सदस्य या भागीदार है तथा जिसमें उसका सारभूत हित है या किसी ऐसे शेयरधारक के निमित्त या व्यष्टिक के फायदे के लिए किसी ऐसी कंपनी द्वारा कोई संदाय उस विस्तार तक जहां कंपनी दोनों मामलों में संचित लाभ अपने पास रखती है।

- 2. धारा 2 के खंड 22 का उपखंड(ii), लाभांश(समझा गया लाभांश निर्दिष्ट किया जाए) की परिभाषा से कारबार के समान्य क्रम में, जहां पैसा उधार देना कंपनी के कारबार का सारभूत भाग है, कंपनी द्वारा शेयरधारक या उक्त समुत्थान को दिये गये किसी अग्रिम या ऋण का अपवर्जन करता है।
- 3. सुझाव प्राप्त हुए हैं कि आईएफएससी में केंद्र कॉरपोरेट खजाने द्वारा किसी समूह अस्तित्वों से उधार लेना, शेयरधारकों के पास समझे गये लाभांश उपबंधों को चालू कर सकेगा।
- 4. धारा 2 के खंड 22 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दो समूह अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण, जहां एक समूह अस्तित्व, खजाना क्रियाकलापों या खजाना सेवाओं को करने के लिए वैश्विक या क्षेत्रिय कॉरपोरेट खजाने के तौर पर आईएफएससी स्थापन में "वित्त कंपनी" या "वित्त यूनिट" है तथा ऐसे समूह के मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा इस निमित्त देश या भारत से बाहर क्षेत्र से भिन्न, देश या भारत के बाहर क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, लाभांश के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3]

VI. आईएफएससी में आधारित निधि प्रबंधकों के लिए सरलीकृत व्यवस्था

धारा 9क अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करती है कि पात्र विनिधान निधि के तौर पर कार्य कर रहे पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से कारित निधि प्रबंधक क्रियाकलाप, इसमें वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए भारत में कारबार संबंधों का गठन नहीं करेंगे।

- 2. धारा 9क की उपधारा 3 के खंड(ग) पर एक शर्त अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करती है कि पात्र विनिधान निधि इस शर्त को पूरा करेगी कि भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल भागीदारी या विनिधान, निधि के कॉर्पस के 5% से अधिक नहीं होता है।
- 3. धारा 9क की उपधारा (8क) अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि किसी पात्र विनिधान निधि या उसके पात्र निधि प्रबंधक की दशा में, उपधारा 3 या उपधारा 4 में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक शर्तें ऐसे उपांतरणों के साथ लागू नहीं होंगी या लागू होंगी, यदि ऐसा प्रबंधक आईएफएससी में अवस्थित है तथा उसके प्रचालनों का प्रबंध 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व प्रारंभ हो चुका है।
- 4. ये प्रतिवेदन किया गया है कि अन्य अधिकारिता में स्थित निधि के प्रबंधन के लिए आईएफएससी आधारित निधि प्रबंधकों हेतु विनिर्दिष्ट सरलीकृत व्यवस्था का उपबंध करना आवश्यक है, ताकि विदेशी अधिकारिता प्रतिस्पर्धा में आईएफएससी निधि प्रबंधक निधि प्रबंधन अस्तित्वों के साथ सम-मूल्य पर हैं।
- 5. धारा 9क के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है, ताकि:-
- (I) पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को निधि में कुल भागीदारी या विनिधान का अवधारण करने के द्वारा धारा 9क की उपधारा (3) के खंड(ग) पर शर्त, सभी निधि प्रबंधकों के लिए सुव्यवस्थित है चाहे वह आईएफएससी में आधारित है या नहीं, और खंड (ग) पर उक्त शर्त का उक्त दिनों में समाधान नहीं होने की दशा में, उक्त दिनों के चार मास के भीतर उसी शर्त का समाधान किये जाने का उपबंध किया जाएगा;
- (II) उपरोक्त सुव्यवस्थिकरण की दृष्टि में, धारा 9क की उपधारा 3 के खंड (ग) पर शर्त किसी भी पात्र विनिधान निधि या उसके पात्र निधि प्रबंधक के लिए उपांतरित नहीं की जाएगी; और
- (III) धारा 9क की उपधारा 8क के प्रयोजनों के लिए आईएफएससी में अवस्थित निधि प्रबंधक द्वारा प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 31 मार्च, 2030 तक विस्तारित की जाएगी।
- 6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

[खंड 5]

VII. अनिवासीयों की आय पर छूट से संबंधित धारा 10 का संशोधन

आयकर अधिनियम की धारा 10 का खंड (4ड.) के विद्यमान उपबंध, उपबंधित करता है कि अपरिदान योग्य अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्यूत्पाद लिखितों या ओवर द काउंटर व्युत्पादों, या धारा 80ठक की उपधारा(1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वितीय सहायता केंद्र की किसी अपतटीय बैंकिंग ईकाई के साथ की गई किसी अपतटीय व्युत्पाद लिखितों पर आय के वितरण के अंतरण के मद्दे से किसी अनिवासी को प्रोद्भूत या उदभूत या उसके द्वारा प्राप्त कोई आय, अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

2. आईएफएससी से संक्रिया को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए धारा 10 के खंड (4ड.) का संशोधन कर यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अपरिदान योग्य अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्यूत्पाद लिखितों या ओवर द काउंटर व्युत्पादों, या किसी आईएफएससी में विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं के साथ की गई किसी अपतटीय व्युत्पाद लिखितों पर आय के वितरण के अंतरण के मद्दे से अनिवासी की आय भी, कितपय शर्तों, जैसी कि विहित की जाए, के अधीन रहते हुए कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तद्रुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चावर्ती निर्धारण वर्षो पर लागू होगा।

[खंड 6]

VIII. अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की निधियों की विद्यमान पुन:स्थापन व्यवस्था में खुदरा स्कीमों और विनिमय व्यापारिक निधियों (ईटीएफ) का समावेशन

आईएफएससी से प्रचालनों को और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है :-

- (I) आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiab) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि किसी पुनःस्थापन में किसी शेयर धारक या यूनिट धारक या हित धारक द्वारा किसी पूंजी आस्ति, जो उसके द्वारा मूल निधि में धारित शेयर या यूनिट या हित है, पारिणामिक निधि में शेयर या यूनिट या हित के प्रतिफल के लिए किसी अंतरण को पूंजी लाभों की गणना के प्रयोजनों के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा । इस खंड के स्पष्टीकरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है "पारिणामिक निधि" से भारत में स्थापित या निगमित निधि अभिप्रेत है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया है और जो किसी अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और उसमें उपबंधित कितिपय शर्तों के अध्यधीन है । इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केन्द्र में मूल निधियों का पारिणामिक निधि में प्नःस्थापन एक कर-रहित संव्यवहार है ।
- (II) अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केन्द्र में अवस्थित खुदरा स्कीमों और विनिमय व्यापारिक निधियों (ईटीएफ) की आय, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन विनियमित होती है, जो वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा अधिनियम की धारा 10(4घ) के अनुसार पहले से छुट प्राप्त विनिर्दिष्ट निधियों के साथ छुट प्रदान की गई थी । ऐसी खुदरा स्कीमों या विनिमय व्यापारिक निधियों (ईटीएफ) को अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकघ) के प्रयोजनों के लिए पारिणामिक निधि की परिभाषा के भीतर सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिससे अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र में मूल निधियों का ऐसे निधियों में प्नःस्थापन भी एक कर-रहित संव्यवहार बन सके ।
- 2. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तद्रुसार, निर्धारण वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा ।

[खंड 13]

IX. प्रभुतासंपन्न धन निधि, पेंशन निधि और अन्यों द्वारा विनिधान करने की तारीख का विस्तार तथा कर छूटों का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चङ) में किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए किसी विनिधान से उद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज, दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की कोई आय या कितपय अन्य आयों छूट के लिए उपबंध किया गया है। विनिर्दिष्ट व्यक्ति, अन्य के साथ-साथ, ऐसी प्रभुतासंपन्न धन निधि (एसडब्ल्यूएफ), पेंशन निधि (पीएफ) हैं जो उसमें विहित शर्तों को पूरा करती हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाती है। इस उपबंध को भारत के ढांचागत सेक्टर में एसडब्ल्यूएफ और पीएफ के विनिधानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा पुर:स्थापित किया गया था।

- 2. धारा 10 के खंड चङ के उपखंड (i) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि विनिधान 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किन्त् 31 मार्च, 2025 या इससे पूर्व किया गया है।
- 3. ये सुझाव प्राप्त हुए हैं कि अवसंरचनात्मक विनिधानों की दीर्घाविध प्रकृति और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में विदेशी एसडब्ल्यूएफ और पीएफ की भूमिका को देखते हुए धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन विनिधान के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाए । यह भारत के अवसंरचना विकास में सारभूत योगदान करने के लिए वैश्विक विनिधानकर्ताओं के लिए आवश्यक स्थिरता और समय-सीमा प्रदान करेगा ।
- 4. इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया है कि वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 द्वारा धारा 50कक में किए गए संशोधनों में असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से लघु अविध पूंजी अभिलाभों के रूप में सभी पूंजीलाभों को निर्धारित अविध को विचार में लाए बिना पुन: वर्गीकृत किया है। उक्त संशोधनों से पूर्व, अधिसूचित एसडब्ल्यूएफ और पीएफ असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से दीर्घाविध पूंजी अभिलाभों पर धारा 10 के खंड (23चड़) के अधीन छूट के लिए पात्र थे।
- 5. अत:, धारा 10 के खंड (23चङ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि -
 - (I) इसके द्वारा भारत में किए गए विनिधान से उद्भूत दीर्घाविध पूंजी अभिलाभों (चाहे ऐसे पूंजी अभिलाभों को धारा 50कक के अधीन लघु अविध पूंजी अभिलाभों के रूप में समझा गया है या नहीं) को, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 10 के खंड (23चङ) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में सिम्मिलित नहीं किया जाएगा : और
- (II) उक्त खंड के अधीन विनिधान की तारीख 31 मार्च, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक बढ़ जाएगी । 6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

[खंड 6]

X. इलैक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले अनिवासी हेतु उपधारणात्मक कराधान की स्कीम का विस्तार

भारत को इलैक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रुप में स्थापित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में ऐसी सुविधाओं की स्थापना की योजनाओं को अधिसूचित किया है।

- 2. इसके संदर्भ में, यह अभ्यावेदन किया गया है कि अनिवासी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और समर्थक सेवाएं प्रदान करके ऐसी इलैक्ट्रानिक विनिर्माण स्विधाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करेंगे।
- 3. इस उद्योग की निश्चितता और संवर्द्धन सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगे अनिवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एक योजना के अधीन भारत में इलैक्ट्रानिक सामान, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए इलैक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा या संबंधित सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है और नियमों में विहित शर्तों को पूरा करती है।
- 4. इसलिए, एक नई धारा 44खखघ अंत:स्थापित करने का यह प्रस्ताव है जो सेवाओं के उपबंध के कारण अनिवासी द्वारा प्राप्ति/प्राप्त की जाने वाली या संदेय की जाने वाली /देय कुल राशि का 25 प्रतिशत इस व्यवसाय से ऐसे

अनिवासी लाभ और प्राप्ति के रुप में मानती है । इसके परिणामस्वरुप एक अनिवासी कंपनी द्वारा सकल प्राप्तियों पर 10 प्रतिशत से कम का प्रभावी आयकर देय होगा ।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे । तदनुसार , कर निर्धारण वर्ष 2026-27 और उसके पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 11]

XI. अंतरदेशीय जलयानों के लिए टनभार कर स्कीम के फायदों का विस्तार

अधिनियम के अध्याय 12-छ में टनभार परियोजना भारतीय जलयान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्त अधिनियम, 2004 द्वारा लाया गया था जिसमें पात्र जलयान कंपनियों को टनभार की व्यवस्था के लिए या सामान्य निगमित कर व्यवस्था के भीतर बने रहने का विकल्प दिया गया था।

- 2. अंतरदेशीय जलयान परिवहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतरदेशीय जलयानों पर भी टनभार कर योजना लागू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए । यह कथन किया गया है कि वर्तमान में भारत में अंतरदेशीय जल परिवहन जलयानों के बेड़े की कमी है और इस क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता है जो इस सेक्टर में गहन पूंजी है । इसलिए, अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अंतरदेशीय जलयानों को टनभार कर योजना की परिधि में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।
- 3. इसिलए, देश में अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अंतरदेशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन अंतरदेशीय जलयानों को भी टनभार कर योजना का लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, अंतरदेशीय जलयानों को योग्य जलयान पात्र होने के लिए धारा 115 फघ में सिम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 115फ में अंतरदेशीय जलयानों को उसी रीति से परिभाषित किया गया है जैसा कि अंतरदेशीय जलयान अधिनियम, 2021 में उपबंध किया गया था। अन्य तत्स्थानी संशोधन अंतरदेशीय जलयान को टनभार कर योजना बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- 4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे । तदनुसार , कर निर्धारण वर्ष 2026-27 और उसके पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 26,27,28,29,30,31,33,34,35और 36]

ग. सरलीकरण तथा स्व्यवस्थीकरण

पूर्त न्यासों/संस्थाओं के लिए कर उपबंधों का सरलीकरण

अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था की आय अधिनियम में दी गई शतों के पूरा होने के अध्याधीन छूट प्राप्त हैं। धारा 12क न्यास या संस्था द्वारा, धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट प्राप्त करने के दावे के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का उपबंध करती है। धारा 12कख न्यास या संस्था द्वारा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अनुमोदन या रद्द करने के संबंध में आवेदन करने की प्रक्रिया का उपबंध करती है। धारा 13 उपबंध करती है कि, यदि कोई न्यास या संस्था उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करती है तो ऐसे न्यास या संस्था को धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं होगी।

II. न्यास और संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए 'विनिर्दिष्ट उल्लंघन' का सुव्यवस्थीकरण

धारा 12 कख की उपधारा(4) अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि जब किसी न्यास या किसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त, किसी पूर्ववर्ती

वर्ष के दौरान एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट उल्लंघन होना पाते हैं, और यदि वह संतुष्ट होते है कि एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट उल्लंघन हुएं हैं तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुए लिखित ओदश पारित करेगा।

- 2. उक्त धारा की उपधारा (4) का स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि अन्य बातों के साथ "विनिर्दिष्ट उल्लंघन" से ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जहां धारा 12क की उपधारा(1) के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है या उसमें अंतर्विष्ट जानकारी असत्य या अशुद्ध है।
- 3. यह देखा जाता है कि, धारा 12क की उपधारा 1 के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन का पूर्ण न होना जैसी मामूली सी चूक भी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करवा सकती है और ऐसा न्यास या संस्था अधिनियम के अध्याय 12ड.ख. के उपबंधों के अनुसार प्रत्यायित आय पर कर के दायी होंगे।
- 4. अतः धारा 12कख की उपधारा(4) के स्पष्टीकरण का संशोधन प्रस्तावित किया जाता है ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए न्यास या संस्था का आवेदन पूर्ण न होने की परिस्थिति में उसे उक्त धारा के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
- 5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगें।

[खंड 7]

III. छोटे न्यासों और संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण की अवधि

धारा 12 कख न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण 5 वर्ष की अविध के लिए या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण (जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय क्रिया कलाप आरंभ नहीं हुए हो) 3 वर्ष की अविध के लिए करने का उपबंध करती है। ऐसे रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की दशा में, यदि न्यास या संस्था में क्रिया कलाप आरंभ हो गए हैं, तो न्यास या संस्था से आगे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

- 2. यह देखा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए ओवदन करना न्यासों और संस्थाओं, विशेषकर छोटे न्यासों और संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को बढ़ाता है।
- 3. छोटे न्यासों और संस्थाओं के अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, ऐसी दशा में जहां पर न्यास या संस्था द्वारा धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड(i) से उपखंड (v) तक के अधीन कोई आवेदन किया गया है और धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों के प्रभाव के बिना, ऐसे न्यास या संस्था की उस वर्ष में जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है से पूर्व 2 वर्ष के प्रत्येक वर्ष की कुल आय 5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, तो ऐसे न्यास और संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण की वैद्यता की अविध को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना प्रस्तावित है।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

[खंड 7]

IV. न्यासों और संस्थाओं के लिए धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का सुव्यवस्थीकरण अधिनियम की धारा 13 अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि धारा 11 और धारा 12 न्यास या संस्था की कुल आय में से किसी आय को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होगी, यदि ऐसी आय प्रयोग की गई है या न्यास

या संस्था कि ऐसी आय या कोई संपति जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग या प्रयोग की गई है, जो अन्य बातों के साथ इस प्रकार निम्नलिखित हैं-.

- कोई व्यक्ति जिसने न्यास या संस्था में सारभूत अभिदाय किया है, जिसका संदर्भ है कि, कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत से अंत तक कुल अभिदाय 50 हजार रूपए से अधिक है।
 - उपरोक्त किसी ऐसे व्यक्ति का कोई नातेदार है;
 - कोई मामला जिसमें उपरोक्त वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति का सारभूत हित है।
- 2. सुझाव प्राप्त हुए हैं कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 'न्यास या संस्था को सारभूत अभिदाय' किए हैं, के ब्यौरे देने में कठिनाई होती है अर्थात् कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत पूर्व वर्ष की समाप्ति तक कुल अभिदाय पचास हजार रू. से अधिक है।
- 3. इसलिए, धारा 13 की उपधारा (3) का संशोधन का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए किया जाता है कि,-
- (i) धारा 13 की उपधारा (3) का खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका न्यास या संस्था को कुल अभिदाय, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक लाख रू. से अधिक हो या सुसंगत पूर्व वर्ष की समाप्ति पर योग 10 लाख रू. से अधिक हो, जैसा भी मामला हो;
- (ii) उपरोक्त (i) में वर्णित ऐसे कोई व्यक्ति का नातेदार धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं होगा; और
- (iii) कोई मामला जिसमें उपरोक्त (i) में वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति का सारभूत हित है, धारा (13) की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं होगा।
- 4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगें।

[खंड 8]

V. कारबार न्यासों के कराधान का सुट्यवथीकरण

वित्त सं.(2) अधिनियम, 2014 ने रियस एस्टेट विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (इनविट) [कारबार न्यास के रूप में सामान्यत: निर्दिष्ट] के लिए विशेष कराधान व्यवस्था पुर:स्थापित की थी। यह विशेष व्यवस्था अवसंरचना में वित्त पोषण और विनिधान की चुनौतियों का समाधान देने के लिए पुर:स्थापित की गई थी। कारबार न्यास, ईक्विटि या ऋण विलेखों के माध्यम से विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) में विनिधान करते हैं।

- 2. कारबार संरचना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 115पक के अधीन विशेष कराधान व्यवस्था अन्य बातों के साथ, ब्याज आय, आरईआईटी और इनविट दोनों के मामले में विशेष प्रयोजन इकाई से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त लाभांश आय तथा आरईआईटी के मामले में रेंटल आय के संबंध में कारबार न्यास को पास थ्रू स्टेटस देने का उपबंध करती है।
- 3. धारा 115पक की उपधारा(2) उपबंध करती है कि धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कारबार न्यास की कुल आय को अधिकतम सीमांत दर पर कर से भारित होंगी।

- 4. यह देखा गया है कि धारा 112क का निर्देश धारा 115पक की उपधारा (2) में वर्णित नहीं है। धारा 112क, कंपनी में साधारण शेयर या ईक्विट आरियेंटेड निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई होते हुए दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के कितपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर, कर का उपबंध करती है।
- 5. धारा 115पक की उपधारा(2) का संशोधन का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए किया जाता है कि धारा 111क, धारा 112 के साथ-साथ धारा 112क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कारबार न्यास की कुल आय अधिकतम सीमांत दर पर कर से भारित होगी।
- 6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तद्रुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चावर्ती निर्धारण वर्षी पर लागू होगा।

[खंड 25]

VI. कारबार संबंधों के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति में प्रयोज्यता का सामंजस्य

अधिनियम की धारा 9 में ऐसी आय के लिए उपबंध किया गया है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी जाएगी। धारा 9 के खंड (i) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि भारत में किसी कारबारी संबंध के द्वारा या उससे चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सब आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी जाएगी।

- 2. धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में यह उपबंधित है अनिवासी के मामले में उसे ऐसी संक्रियाओं के द्वारा या उनसे, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित है, कोई आय भारत में प्रोद्भृत या उद्भृत हुई नहीं समझी जाएगी ।
- 3. धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2क में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत में "कारबारी संबंध" के बाहर गठित करेगी और "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" का अर्थ, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवासी द्वारा भारत में किसी व्यक्ति के साथ किए गए किसी माल की बाबत संव्यवहार है।
- 4. ये सुझाव प्राप्त हुए हैं कि स्पष्टीकरण 2क में उपबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति की परिभाषा के कारण अनिवासी के मामले में संक्रियाओं द्वारा या उनसे, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित हैं, उद्भूत आय के लिए उपबंधित विनिर्दिष्ट अपवर्जन से इनकार किया जा सकता है और ऐसी आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय के रूप में माना जा सकता है।
- 5. अत:, धारा 9 के स्पष्टीकरण 2क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे भारत में किसी अनिवासी के ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों से, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित हैं, भारत में ऐसे अनिवासी के महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति गठित नहीं होगी । यह संशोधन इसे कारबारी संबंध के लिए धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 1 के अनुरूप लाएगा ।
- 6. ये संशोधन 1 अप्रैल, **2026** से प्रभावी होंगे और तद्गुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 और पश्वातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 4]

VII. यूनिट-सहबद्ध बीमा पॉलिसी के मोचन पर आय में स्पष्टता लाना

धारा 10 के खंड (10घ) में जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी है, के अधीन प्राप्त राशि पर आय-कर छूट के लिए उपबंध किया गया है। शर्त यह है कि पॉलिसी की अविधयों के दौरान किसी वर्ष के लिए संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 2. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जीवन बीमा के लघु और असली मामलों के लिए धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट के फायदे को प्रतिबंधित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2021 ने, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 10 के खंड (10घ) में संशोधन किए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के अधीन छूट 1 फरवरी, 2021 या उसके पश्चात् जारी किसी यूनिट सहबद्ध बीमा पॉलिसी या पॉलिसियों के संबंध में लागू नहीं होंगी, यदि ऐसी पालिसी या पालिसियों की अविध के दौरान संदेय प्रीमियम या प्रीमियम की कुल रकम 2,50,000/- रुपए से अधिक है।
- 3. यह पाया गया है कि यूनिट-सहबद्ध बीमा पालिसी केवल तब एक पूंजी आस्ति है जब धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट ऐसी पालिसियों पर चौथे और पांचवें परंतुक के लागू होने के कारण लागू नहीं होती है और तद्नुसार पूंजी अभिलाभों के रूप में कराधान केवल ऐसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियों की दशा में किया जाता है। तथापि, जीवन बीमा पालिसी (किसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी से भिन्न) की दशा में प्राप्त की गई राशि ऐसी किसी पालिसी के लिए जिसके लिए धारा 10 का खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है, "अन्य स्रोतों से आय" के अधीन आय-कर से प्रभार्य है।
- 4. इसके अतिरिक्त, धारा 10 के खंड (10घ) के परंतुकों के साथ पठित उपखंड (क) से (घ) में यथा उपबंधित बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट योग्य नहीं है । ये उपखंड यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी पर भी लागू होते हैं ।
- 5. अतः, यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियों के लिए उपबंधों को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, -
 - (I) ऐसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियां, जिनको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है, एक पूंजी आस्ति है [धारा 2 का खंड (14)] ;
 - (II) ऐसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियों के मोचन से लाभ और अभिलाभों, जिनको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है, को पूंजी अभिलाभों के रूप में कर से प्रभारित किया जाएगा ; और
 - (III) ऐसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियां, जिनको धारा 10 का खंड (10घ) लागू नहीं होता है, को इक्विटी उन्मुख निधि की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा [धारा 112क के स्पष्टीकरण का खंड (क)]
- 6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तद्रुसार, निर्धारण वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 3,12 और 22]

VIII. 'पूंजी आस्ति' की परिभाषा का संशोधन

अधिनियम की धारा 2(14) "पूंजीगत संपत्ति" शब्द को करदाता द्वारा अवधारित किसी भी प्रकार की संपत्ति के रुप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह उसके व्यवसाय या पेशे से जुड़ी हो या न हो, लेकिन इस

परिभाषा में दिए गए अनुसार कोई भी स्टॉक-इन-ट्रेड या व्यक्तिगत संपत्ति सम्मिलित नहीं है । किसी विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा अवधारित प्रतिभूतियां, जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया है, को भी पूंजीगत संपत्तियों के रुप में परिभाषित किया गया है ।

- 2. प्रतिभूतियों में लेने देन से उदभूत आय के नाम निर्धारण में कुछ अनिश्वितता है, जैसे कि यह पूंजीगत लाभ या निवेश निधि के लिए व्यवसाय आय (अधिनियम में धारा 115पख के स्पष्टीकरण के खंड क में निर्दिष्ट) है ।
- 3. उपरोक्त की बाबत निश्चितता प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियम में यह संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 115पख में निर्दिष्ट निवेश निधियों द्वारा अवधारित किसी प्रतिभूति को जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया है, केवल पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जाएगा ताकि ऐसी प्रतिभूति के अंतरण से उत्पन्न होने वाली कोई भी आय पूंजीगत लाभ की प्रकृति की होगी।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 26-27 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 3]

IX. स्टार्टअप के कर फायदों के लिए समय सीमा का विस्तार

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 -1कग के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ - साथ एक पात्र स्टार्टअप द्वारा प्रात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती का उपबंध करते हैं, जो निगमन के वर्ष से शुरु होने वाले दस वर्षों में से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए करदाता के विकल्प पर इस शर्त के अधीन है कि

- उसके व्यवसाय का क्ल कारबार 100 करोड़ से अधिक न हो;
- II. उसके पास अंतर-मंत्रालय प्रमाणन बोर्ड से पात्र व्यवसाय का प्रमाणपत्र हो; और
- III. इसका निगमन 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व ह्आ हो,
- 2. उपरोक्त धारा में संशोधन का प्रस्ताव है कि जिससे कि लाभ को पांच वर्ष की अतिरिक्त अविध के लिए विस्तार किया जा सके अर्थात् यह लाभ 1.4.2030 से पहले निगमित स्टार्टअप को उपलब्ध होगा ।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 18]

X. अनिवासियों द्वारा पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाओं के कराधान का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 115कघ के विद्यमान उपबंध में यह प्रावधान है कि जहां निर्दिष्ट खंड या विदेशी संस्थागत निवेशक की कुल आय में सम्मिलत है -

- (क) प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (धारा 115कघ में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न); या
- (ख) ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रुप में आय, संदेय आय कर, अन्य बातों के साथ-साथ कुल आय में सम्मिलत खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रुप में आय पर गणना की गई आयकर की राशि का कुल योग होगा, यदि कोई हो, 10 प्रतिशत की दर से ।

- 2. वित्त (सं. 2) 2024 द्वारा उपरोक्त उपबंधों में कितपय संशोधन किए गए । पूंजीगत संपितयों के अंतरण से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक लाभ पर कराधान की दर को सभी करदाताओं के मामले में, चाहे वे निवासी हो या गैर निवासी, तारीख 23/7/2024 से संशोधित करके 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है । यह देखा गया है कि जब कि धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक लाभ के मामले में निर्दिष्ट फंड या एफआईआई के मामले में कराधान की दरों को निवासियों के लिए लागू दरों के बराबर लाया गया है, धारा 112क में निर्दिष्ट नहीं किए गए दीर्घकालिक पूंजी लाभ के माध्यम से आय पर गणना की गई आयकर की दर को वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 के अधीन 10 प्रतिशत पर कायम रखा गया है ।
- 3. पूंजीगत संपितयों के अंतरण पर पूंजीगत लाभ के कराधान के मध्य समानता लाने के लिए, निवासियों और गैर-निवासियों को धारा 115कघ के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह प्रावधान किया जा सके कि देय आयकर, अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत लाभ के माध्यम से गणना की गई आयकर की राशि का कुल योग होगा जो कुल आय में 12.5 प्रतिशत की दर से सिम्मिलित है।
- 4. यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 26-27 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे ।

[खंड 23]

XI. स्रोत (टीडीएस) दरों पर कर कटौती का स्व्यवस्थीकरण

स्त्रोत पर कर कटौती के विभिन्न उपबंध है जिनकी भिन्न-भिन्न आरंभिक सीमाएं और बहुविध दरें हैं। करदाता द्वारा कारबार को सुगम बनाने और बेहतर अनुपालन में सुधार करने के लिए स्त्रोत पर कटौती के उपबंधों की प्रयोज्यता की आरंभिक सीमा को बढ़ाने और स्त्रोत पर कर कटौती की कतिपय दरों का सुव्यवस्थीकरण प्रस्तावित किया जाता है।

। धारा 194ठखग के लिए स्त्रोत पर कर कटौती की दरों में कमी-

अधिनियम की धारा 194ठखग में यह अपेक्षा की गई है कि, यदि किसी विनिधानकर्ता को, निवासी होते हुए, उसमें यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में कोई आय संदेय की जाती है, तो संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, यदि प्राप्तकर्ता कोई व्यष्टि या अविभाजित कुटुंब है, तो 25 प्रतिशत की दर से और यदि प्राप्तकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है, तो 30 प्रतिशत की दर से कटौती करेगा।

- 2. यह प्रस्तावित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 194ठखग के अधीन स्त्रोत पर कर कटौती की दर को 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत होगी।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगें।

[खंड **63**]

II. स्त्रोत पर कर कटौती की आरंभिक सीमा का सुव्यवस्थीकरण

संदाय की रकम या आय की रकम जिसके परे कर कटौती अपेक्षित हैं, के लिए स्रोत पर कर कटौती की आरंभिक सीमाओं के विभिन्न उपबंध है। आरंभिक सीमाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नानुसार यह प्रस्तावित किया जाता है कि-

क्रम	धारा	वर्तमान आरंभिक सीमा	प्रस्तावित आरंभिक सीमा		
सं.					
1.	••	शून्य	रू. 10,000/-		
	ब्याज				
2.	194क- प्रतिभूतियों पर		(i) रू. 1,00,000/- वरिष्ठ		
	ब्याज से भिन्न ब्याज	नागरिकों के लिए	नागरिकों के लिए		
		(ii) रू. 40,000/- अन्य की दशा में, जब संदायकर्ता			
		बैंक, सहकारिता	बैंक, सहकारिता सोसाइटी		
		सोसाइटी और डाक घर			
		हो	(iii) रू. 10,000/- अन्य		
		(iii) रू. 5,000/- अन्य	मामलों में		
		मामलों में			
3.	194- किसी व्यष्टिक	₹. 5,000/-	₹. 10,000/-		
	शेयरधारक के लिए				
	लाभांश				
4.	194ट- किसी पारस्परिक	₹. 5,000/-	₹. 10,000/-		
	निधी या विनिर्दिष्ट कंपनी				
	या उपक्रम की इकाईयों				
	के संबंध में आय				
5.		वितीय वर्ष के दौरान रू. 10,000/-			
	पजल, धुड़दाड़ आदि स जीती हुई रकम	से अधिक रकम का योग	10,000/-		
6.					
0.	194खख- घुड़दौड़ से जीती हुई रकम				
7.	194घ- बीमा आयोग	₹. 15,000/-	₹. 20,000/-		
8.	194छ- लॉटरी टिकट पर		₹. 20,000/-		
	कमीशन				
9.	194ज- कमीशन या	₹. 15,000/-	₹. 20,000/-		
	दलाली				
10.	194-झ किराया	वित्तीय वर्ष के दौरान 240000 रू.	50000 रु. प्रति मास या मास का भाग		
11.	194ञ- वृत्तिक या	30000 ₹.	50000 ₹.		
	तकनीकी सेवाओं के लिए				
	फीस				
12.	194 ठक- अभिवर्धित	250000 रु.	500000 ₹.		
	प्रतिकर के माध्यम द्वारा				
	आय				

धारा 193- प्रतिभूतियों पर ब्याज

अधिनियम की धारा 193 अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति जो किसी निवासी को प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम द्वारा किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है प्राप्त करने वाले को खाते में ऐसी आय के प्रत्यय पर या इसके संदाय के समय पर, जो भी पूर्वतर हो, संदेय ब्याज की रकम पर प्रवृत दरों पर आयकर की कटौती करेगा। वर्तमान मे, इस धारा में स्रोत पर कर की कटौती के लिए ब्याज के माध्यम द्वारा आय की रकम के लिए कोई सीमा नहीं है।

- 2. कितपय मामलों में स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए धारा का परंतुक उपबंध करता है। परंतुक का खंड (v) कथन करता है कि किसी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो भारतीय निवासी है, को किसी कंपनी, जिसमें आम जनता हितबद्ध है द्वारा जारी डिबेंचर पर संदेय किसी ब्याज पर किसी कर की कटौती अपेक्षित नहीं है, यथास्थिति, यदि कंपनी द्वारा ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की कुल रकम, जो वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर पर पाने वाले के खाते के चैक के माध्यम से संदत्त की गई है या संदत्त की जाने वाली है, 5000 रू. से अधिक नहीं होती है।
- 3. ये उपबंध करना प्रस्तावित है कि इस धारा के अधीन कर कटौती केवल तब की जायेगी जब प्रतिभूतियों पर ब्याज के माध्यम द्वारा आय की रकम या कुल रकम वित्तीय वर्ष के दौरान 10000 रू. से अधिक है तथा परिणामस्वरूप धारा की परंतुक के खंड (v) में स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए सीमा 5000 से 10000 रू. बढ़े।
- 4. संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 51]

धारा 194- लाभांश

अधिनियम की धारा 194 अपेक्षा करती है कि कोई भारतीय कंपनी या कंपनी जिसने भारत में लाभांश(जिसके अंतर्गत अधिमानता शेयर पर लाभांश भी है) की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था की है के प्रधान अधिकारी, धारा 2 के खंड 22 के सभी उपखंडों के अर्थांतर्गत किसी लाभांश का, किसी शेयरधारक को जो भारतीय निवासी है, वितरण या संदाय करने से पूर्व या किसी लाभांश के संबंध में किसी माध्यम द्वारा कोई संदाय करने से पूर्व ऐसे लाभांश की रकम से 10% की दर पर आयकर कटौती करेगा।

- 2. इस धारा का पहला परंतुक कथन करता है कि कर कटौती करना अपेक्षित नहीं है जब वितीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी शेयर धारक जो एक व्यष्टिक के रूप में है को, वितरित या संदत्त या वितरित किये जाने वाले या संदत्त किए जाने वाले ऐसे लाभांश की कुल रकम 5000 रु. से अधिक नहीं होती है।
- 3 यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि कर कटौती करना अपेक्षित नहीं है जब शेयर धारक जो एक व्यष्टिक के रूप में है को, वितरित या संदत्त या वितरित किये जाने वाले या संदत्त किए जाने वाले ऐसे लाभांश की कुल रकम 10000 रु. से अधिक नहीं होती है।
- 4. संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 52]

धारा 194क- प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज

अधिनियम की धारा 194क की उपधारा(1) अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति जो किसी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के रूप में नहीं है, किसी निवासी को प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय से भिन्न किसी ब्याज आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रवृत दरों पर उस पर आयकर कटौती करेगा।

2 अधिनियम की धारा 194क की उपधारा(3) कथन करती है कि कर कटौती करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा जब ब्याज का संदाय विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायकर्ता द्वारा किया जाता है तथा कितपय विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होता है। उपधारा(3) के तीसरे परंतुक में दिए अनुसार संदायकर्ता के रूप में विरष्ट नागरिक की दशा में ये सीमा उचतर है। अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार उपधारा (3) के खंड(v) और खंड(viiक) में यथानिर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी स्रोत पर आयकर की कटौती की दायी होगी जब विरष्ट नागरीक के रूप में संदायकर्ता की दशा में वितीय वर्ष के दौरान ब्याज आय की रकम 50000 रू. तथा किसी अन्य दशा में 40000 रू. से अधिक है।

3. धारा 194क में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा के लिए सीमा को बढ़ाने के लिए निम्नान्सार प्रस्तावित है-

क्रम सं.	संदायकर्ता	टीडीएस कटौती की वर्तमान सीमा	टीडीएस कटौती की वर्तमान सीमा		की प्रस्तावित सीमा जब पाने
1.	वह बैंककारी कंपनी जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949(1949 का 10) लागू होता है(जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक, या बैंककारी संस्था भी	₹. 40,000/-	₹. 50,000/-	₹. 50,000/-	₹. 1,00,000/-
2.	बैंकिंग के कारबार में लगी रहने वाली सहकारी संस्था	₹. 40,000/-	₹. 50,000/-	₹. 50,000/-	₹. 1,00,000/-
3.	केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित और इस बाबत अधिसूचित की गई किसी स्कीम के अधीन डाक घर में किसी जमा पर	₹. 40,000/-	₹. 50,000/-	₹. 50,000/-	₹. 1,00,000/-

4.	कोई अन्य मामला	₹. 5,000/-	₹. 10,000/-	₹. 5000/-	₹. 10000/-
5.	धारा 194क की उपधारा(3)	₹. 40,000/-	₹. 50,000/-	₹. 50,000/-	₹. 1,00,000/-
	के खंड (V) और खंड (viiक)				
	में निर्दिष्ट कोई सहकारी				
	सोसाइटी				

⁴ यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 53]

धारा 194ख - लॉटरी से या क्रासवर्ड पहेली से जीत

अधिनयम की धारा 194ख अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति को ऐसी आय से भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है जो किसी लॉटरी से या क्रासवर्ड पहली से या कार्ड खेल और किसी प्रकार की गेंबलिंग या उससे अथवा किसी प्रकार या प्रकृति के बैटिंग के खेल की जीत से प्राप्त हो, जो वितीय वर्ष के दौरान रूपए 10,000/- की रकम या रकमों के योग से अधिक हो, वह संदाय के समय प्रवृत्त दरों पर आयकर कटौती करेगा।

- 2. यह प्रस्तावित है कि रू.10,000/- से अधिक की रकमों के योग पर लागू होने वाले आरंभिक सीमा की शर्त को हटाया जाए और अब एकल संव्यवहार के संबंध में लागू किया जाए।
- 3 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 54]

धारा 194खख- घुडदौड़ से जीत

अधिनियम की धारा 194खख अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो बुक मेकर है या जिसे रेसकोर्स में घुड़सवारी या रेसकोर्स में बाजी लगाने या दाव लगाने की व्यवस्था करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञित प्रदान की गई है, जो किसी व्यक्ति को किसी घुडदौड से हुई जीत से प्राप्त ऐसी आय जो वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 10,000/- से अधिक की रकम या रकमों का योग हो, के संदाय के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसे संदाय के समय, प्रवृत्त दरों पर आयकर कटौती करेगा।

- 2. यह प्रस्तावित है कि रू.10,000/- से अधिक की रकमों के योग पर लागू होने वाले आरंभिक सीमा की शर्त को हटाया जाए और अब एकल संव्यवहार के संबंध में लागू किया जाए।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 55]

धारा 194घ- बीमा कमीशन

अधिनियम की धारा 194घ अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को बीमा कारबार को याचित या उपाप्त करने के लिए (जिसमें बीमा की पॉलिसी को जारी करने, नवीनीकृत करने या रिवाईवल

करने का कारबार सम्मिलित है) पारिश्रमिक या ईनाम, जो कमीशन द्वारा या अन्यथा प्राप्त हो, से प्राप्त कोई आय के संदाय के लिए उत्तरदायी है, वह प्रवृत्त दरों पर आयकर कटौती करेगा, परंतु यह कि वह रकम उस वितीय वर्ष में रू.15,000/- से अधिक हो।

- 2. यह प्रस्तावित है कि इस धारा के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा के लिए आरंभिक सीमा रकम रू. 15,000/- से रू 20,000/- की जाए।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 56]

धारा 194छ- लॉटरी टिकट के विक्रय पर कमीशन आदि।

अधिनियम की धारा 194छ अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लाटरी टिकटों का स्टॉक, वितरण, क्रय या विक्रय करता है या जिसने लाटरी टिकटों का स्टॉक, वितरण, क्रय या विक्रय किया है, ऐसे टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या ईनाम के रूप में (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) 15,000/- रूपए से अधिक रकम की किसी आय पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

- 2 इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा के लिए आरंभिक सीमा की रकम को 15,000/- रुपए से बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है।
- 3 यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 57]

धारा 194ज - कमीशन या दलाली

अधिनियम की धारा 194ज अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलीली के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त रकम 15,000/- रुपए से अधिक है, तो उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

- 2 इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा के लिए आरंभिक सीमा की रकम को 15,000/- रुपए से बढ़ाकर 20,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है।
- 3 यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 58]

धारा 194झ - किराया

अधिनियम की धारा 194झ अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, उसमें यथा निर्दिष्ट दरों पर आय- कर की कटौती केवल तब करेगा जब ऐसी किराए की आय की रकम किसी वितीय वर्ष में 2,40,000/- रुपए से अधिक है।

- 2. इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा के लिए किसी मास या किसी मास के भाग में किराए के रूप में आय की रकम की यह सीमा किसी वितीय वर्ष में 2,40,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है ।
- 3. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 59]

धारा 194ज - वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

अधिनियम की धारा 194ज में ऐसे किसी व्यक्ति से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षा की गई है, जो व्यष्टि या हिन्दू या अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो किसी निवासी को वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, कोई पारिश्रमिक फीस या कमीशन, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है की प्रकृति की किसी राशि का किसी कंपनी के निदेशक, या स्वामिस्व, या अधिनियम की धारा 28 के खंड (फक) में किसी निर्दिष्ट राशि का उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर संदाय करता है।

2 धारा 194ज की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) में इस धारा के अधीन कटौती किए जाने के लिए कर के लिए वितीय वर्ष के दौरान संदत्त रकम की सीमा उपबंधित है । अधिनियम की धारा 194ज की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं को निम्न प्रकार से बढ़ाने का प्रस्ताव है :-

क्रम	राशि की प्रकृति	टीडीएस कटौती की	वर्तमान	प्रस्तावित	आरंभिक
सं.		आरंभिक सीमा		सीमा	
1	वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस	30,000/- रुपए		50,000/-	रुपए
2	तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	30,000/- रुपए		50,000/-	रुपए
3	स्वामिस्व	30,000/- रुपए		50,000/-	रुपए
4	धारा 28 के खंड (फक) में निर्दिष्ट	30,000/- रुपए		50,000/-	रुपए
	कोई राशि				

3 यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 60]

धारा 194ट - यूनिटों के संबंध में आय

अधिनियम की धारा 194ट अपेक्षा करती है कि धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट परस्पर निधि की यूनिटों; या विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों; या विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में किसी निवासी को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति 10 प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा, बशर्ते किसी पाने वाले की आय किसी वर्ष में ऐसी आय से 5,000/- रुपए से अधिक होती है।

2 इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा के लिए इस रकम की सीमा को 5,000/- रुपए से बढ़ाकर 10,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है ।

3 यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 61]

धारा 194ठक- कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय

अधिनियम की धारा 194ठक अपेक्षा करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनिवार्य अर्जन मद्य प्रतिकर या विधित प्रतिकर या प्रतिफल या विधित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उस पर आय-कर के रूप में ऐसी राशि के 10 प्रतिशत के समान कटौती करेगा, बशर्ते ऐसी रकम किसी वितीय वर्ष में 2,50,000/- रुपए से अधिक होती है।

2 इस धारा के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा के लिए आरंभिक रकम की सीमा 2,50,000/- रुपए से बढ़ाकर 5,00,000/- रुपए करने का प्रस्ताव है ।

3 यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 62]

XII. "वन उत्पाद" की सुव्यवस्थित परिभाषा

अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा(1) कथन करती है कि प्रत्येक विक्रेता कतिपय विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल की खरीद से स्रोत पर कर संग्रह उपधारा में विनिर्दिष्ट दरों पर करेगा।

- 2. अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा(1) के अधीन वर्तमान में निम्नलिखित प्रकृति के माल के विक्रय पर टीसीएस 2.5% संग्रहित करना अपेक्षित है:-
- (I) वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त टिम्बर
- (II) वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी मोड द्वारा अभिप्राप्त टिम्बर
- (III)कोई अन्य वन उत्पाद जो टिम्बर या तेंदू पत्ते के रूप में नहीं है
- 3. प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि अधिनियम में "वन उत्पाद" के लिए कोई परिभाषा उपबंधित नहीं की गई है, जो अधिनियम के सुसंगत उपबंधों की प्रयोज्यता में किठनाई पैदा कर रही है। और ये भी की उपबंध केवल उन्हीं व्यापारियों पर लागू हो रहे हैं जो ऐसे उत्पाद बेच रहे हैं। "वन उत्पाद" के अर्थ से संबंधित स्पष्टता लाने के लिए यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए "वन उत्पाद", "वन उत्पाद" लागू राज्य विधियों में तथा संघ राज्य क्षेत्र की विधि में लागू होगा तथा यदि वहां ऐसी विधि नहीं है तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की परिभाषा में लागू होगा।
- 4. और, यह प्रस्तावित है कि वन के व्यापारियों पर टीसीएस की प्रयोज्यता का हल निकालने के लिए केवल ऐसे वन उत्पाद(टिम्बर या तेंदू पत्तों के रुप में नहीं) जो वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त किये जाते हैं टीसीएस के अधीन कवर किये जाऐगें।
- 5. टीसीएस के संग्रहण के लिए संशोधित दर निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	माल की प्रकृति	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(iii)	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त टिम्बर या कोई अन्य	2 प्रतिशत
	वन उत्पाद(तेंदू पत्ते के रूप में नहीं)	
(iv)	वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी मोड द्वारा अभिप्रास	2 प्रतिशत
	टिम्बर	

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

XIII. विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर टीसीएस के लोप द्वारा बोझ अनुपालन में कमी

अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1ज), कितपय शर्तों के अधीन रहते हुए क्रेता से पचास लाख से अधिक विक्रय प्रतिफल के 0.1% दर पर कर संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति की विक्रेता के रूप में अपेक्षा करती है जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी माल के विक्रय के मूल्य या कुल मूल्य के लिए पचास लाख रूपये से अधिक प्रतिफल प्राप्त करता है।

- 2. अधिनियम की धारा 194थ, किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी माल का मूल्य या कुल मूल्य 50 लाख रूपये से अधिक है के क्रय के लिए, किसी निवासी विक्रेता को किए गए संदाय पर 0.1% की दर पर किसी व्यक्ति से क्रेता के रूप में कर कटौती की अपेक्षा करती है।
- 3. धारा 206ग की उपधारा(1ज) विक्रेता द्वारा स्रोत पर कर संग्रहण को आज्ञापक करता है जबकि धारा 194थ उसी संव्यवहार पर क्रेता द्वारा स्रोत पर कर कटौती के लिए उपबंध करती है।
- 4. और, अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1ज) में यह उपबंधित किया गया है कि उपबंध लागू नहीं होगें, यदि विक्रेता से खरीदे गए माल पर इस अधिनियम किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए क्रेता दायी है और ऐसी रकम काट ली गई है। प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि विक्रेता के लिए यह जांच करना कठिन हो गया है कि क्या क्रेता अधिनियम की धारा 194थ के अधीन टीडीएस कटौती के अनुपालन को सुनिश्वित कर चुके हैं। टीडीएस तथा टीसीएस दोनों में यह परिणाम एक ही संव्यवहार पर लागू किए जा रहे है।
- 5. इसिलए, कारबार करने की सुगमता को सुकर बनाने और करदाताओं पर बोझ अनुपालन को कम करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि 1 अप्रैल, 2025 से अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1ज) के उपबंध लागू नहीं होगें।
- 6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 64 और 67]

XIV. अध्याय 14ख के अधीन तलाशी और अध्यापेक्षा के लिए ब्लॉक निर्धारण के उपबंधों में प्रस्तावित संशोधन

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा ब्लॉक निर्धारण की धारणा को आय-कर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के अध्याय 14ख (धारा 158ख से 158खझ) के उपबंधों का संशोधन करके वहां लागू किए जाने के लिए पुर:स्थापित किया गया था जहां 1 सितम्बर, 2024 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन कोई तलाशी ली गई गई है या धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षा की गई है ।

- 2. अधिनियम की धारा 158ख में अध्याय 14ख के प्रयोजनों के लिए "अप्रकटित आय" को परिभाषित किया गया है । उक्त परिभाषा में "वर्च्अल डिजिटल आस्ति" पद जोड़ने का प्रस्ताव है ।
- 3. अधिनियम की धारा 158खक की उपधारा (2) और उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि तलाशी लिए जाने या अध्यापेक्षा किए जाने की तारीख को लंबित ब्लॉक अविध के अंतर्गत आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना या कोई निर्देश या आदेश का उपसमन हो जाएगा । इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा उपधारा (5) में यह उपबंधित है कि यदि अध्याय 14ख के अधीन आरंभ की गई किसी कार्रवाई को अपील या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल किया गया है, तब किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित वह निर्धारण या पुनर्निधारण, जिसका उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उपशमन हो गया है, पुनर्जीवित हो जाएगा । उपधारा (5) में "पुनर्गणना", "निर्देश" या "आदेश" शब्दों को जोड़कर उक्त उपधाराओं को समरूप करने का प्रस्ताव है ।

- 4. अधिनियम की धारा 158खक की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि जहां अध्याय 14ख के अधीन ऐसे निर्धारिती के मामले में कोई निर्धारण लंबित है जिसके मामले में कोई पश्चातवर्ती तलाशी ली जाती है, या कोई अध्यापेक्षा की जाती है, तो ऐसे निर्धारण को सम्यक् रूप से पूर्ण किया जाएगा, और उसके पश्चात् ऐसी पश्चातवर्ती तलाशी या अध्यापेक्षा की बाबत निर्धारण अध्याय 14ख के उपबंधों के अधीन किया जाएगा । इसमें "लंबित" शब्द प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है क्योंकि निर्धारण 'किया जाना अपेक्षित' है यद्यपि हो सकता है यह उस समय लंबित न हो जब पश्चातवर्ती तलाशी ली जाती है ।
- 5. अधिनियम की धारा 158खख में ब्लॉक अविध की कुल आय की संगणना करने के लिए प्रणाली का उपबंध किया गया है । उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उस 'अप्रकटित आय" के स्थान पर 'कुल प्रकटित आय' के प्रतिनिर्देश को प्रतिस्थापित किया जा सके, जिसे विवरणी में घोषित किया गया है । इस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (6) का भी पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है । उपधारा (1) के खंड (iii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह विनिर्दिष्ट की जा सके कि धारा 139 के अधीन या धारा 142 या धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में फाइल की गई आय की विवरणी में तलाशी लिए जाने या अध्यापेक्षा किए जाने की तारीख से पूर्व घोषित कोई आय ब्लॉक अविध की कुल आय का भाग होगी, जिसके लिए उक्त अविध हेतु कर प्रभार्य के दौरान प्रत्यय दिया जाएगा। उपधारा (1) के खंड (ii) और (iii) में 'कुल आय' से कुल शब्द हटाने का भी प्रस्ताव है । उपधारा (1) के खंड (iv) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उस पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित आय की संगणना पर स्पष्टता का उपबंध किया जा सके जो समास हो गया है किन्तु ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तलाशी लेने या अध्यापेक्षा करने की तारीख से पूर्व समास नहीं हुई है जिससे उक्त अविध के लिए सामान्य अनुक्रम में बनाए रखी गई लेखाप्स्तकों से संबंधित आय को सामान्य उपबंधों के अधीन करादेय बनाया जा सके ।
- 6. अधिनियम की धारा 158खख की उपधारा (3) ऐसे किसी आय पर सामान्य उपबंधों के अधीन कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है जो उस पूर्ववर्ती वर्ष की पहली अप्रैल से आरंभ अविध से संबंधित किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित है, जिसमें अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था और उस तारीख को समास हुआ था जिस तारीख को अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था । यह इसलिए उपबंधित किया गया था क्योंकि भागत: अविध के संव्यवहारों की पर्याप्त कीमत का निर्धारण करना कठिन हो सके । उक्त उपधारा को संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित साक्ष्य को ब्लॉक अविध में का समझा जा सके । इस प्रकार उक्त उपधारा पूर्व में दिये गए साक्ष्य के स्थान पर ऐसी आय के प्रति निर्देश उपबंध करना प्रस्तावित है।
- 7. अधिनियम की धारा 158खड़ में ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा को उस मास की समाप्ति से बारह मास के रूप में उपबंधित किया गया है जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया है। तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियां प्राय: मामलों के समूह में संचालित की जाती हैं जिसमें समन्वित अन्वेषण और निर्धारणों की अपेक्षा होती है। तथापि, वर्तमान की समय-सीमा मामलों के एक समूह में बहुत सारी तारीखें प्रदान की जाती हैं जिससे मामलों को तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। अत:, ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा को उस क्वार्टर की समाप्ति से बारह मास किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें तलाशी या अध्यापेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया है।
- 8. ये संशोधन 1 फरवरी, 2025 से प्रभावी होगा ।

[खंड 46, 47,48 और 49]

XV. अधिनियम की धारा 271ककख की अननुप्रयोज्यता

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271ककख की उपधारा (1क) के विद्यमान उपबंध, 15-12-2016 के पश्चात श्रू की गई तलाशी के संबंध में शास्ति से संबंधित हैं।

- 2. वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा 1 सितम्बर 2024 या के पश्चात आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन शुरू की गई तलाशी के लिए 'ब्लॉक निर्धारण' (अध्याय 15-ख) के उपबंधों को पुरःस्थापित किया गया था। हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271ककख स्पष्ट है कि इसके उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 158खग के अधीन संचालित कार्यवाहियों को लागू नहीं होते हैं, 1-09-2024 को या के पश्चात संचालित तलाशी को इसकी प्रयोज्यता के अस्पष्ट निर्वचन को हटाना प्रस्तावित है।
- 3. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 271ककख का संशोधन प्रस्तावित है जिससे ये उपबंध किया जा सके कि इसके उपबंध उस निर्धारीति पर लागू नहीं होगे जिसके मामले में तलाशी धारा 132 के अधीन 1 सितम्बर, 2024 को या के पश्चात श्रूक की गई थी।
- 4. यह संशोधन 1 सितम्बर, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 75]

XVI. सुव्यवस्थिकरण उपबंधों के लिए धारा 132 तथा 132ख में प्रस्तावित संशोधन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 132 की उपधारा(8) के उपबंधों के अनुसार अभिग्रहित लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों के प्रतिधारण के लिए अनुमोदन लेने की अंतिम तारीख निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन आदेश की तारीख से तीस दिन है। समूह मामलों में निर्धारण कार्यवाहियों के क्रम में, एक निर्धारीति का निर्धारण आदेश अन्य निर्धारीति के निर्धारण आदेश से पूर्व पारित किया जा सकता है। और, विभिन्न निर्धारीतियों से संबंधित अभिग्रहित लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का पृथक्करण भी बहुत कठिन है यदि तालाशी का परिसर एक ही है। यह भी मामला है कि पूर्ण निर्धारण मामलों से संबंधित अभिग्रहित लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों पर चल रहे निर्धारण तथा लंबित निर्धारण मामलों के लिए अपेक्षित हो सकता है। चूंकि प्रतिधारण के लिए अनुमोदन लेने की समय सीमा विभिन्न मामलों के लिए भिन्न होगी, निर्धारण अधिकारियों के लिए अभिग्रहित लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों के प्रतिधारण के लिए अनुमोदन लेने की प्रतिधारण मामलों है।

- 2. इस प्रकार, धारा 132 की उपधारा (8) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके की प्रतिधारण के लिए अनुमोदन लेने हेतु समय सीमा, त्रैमासिक जिसमें निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणन या आदेश किया गया है के अंत से एक मास होगी।
- 3. धारा 132 का स्पष्टीकरण 1 उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जिनमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण को निष्पादित हुआ समझा गया है। अधिनियम के अन्य उपबंधों के साथ उसे संरेखित करने के लिए शब्ध प्राधिकरण के स्थान पर शब्द प्राधिकरणों को रखा जाना प्रस्तावित है।
- 4. अधिनियम की धारा 132ख का स्पष्टीकरण 1 उपबंध करता है कि तलाशी या अध्यापेक्षा के लिए प्राधिकरण के निष्पादन का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 158खड. के स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है। वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 के द्वारा अधिनियम के अध्याय 14-ख के उपबंधों (धारा 158ख से 158खझ) के संशोधन द्वारा ब्लॉक निर्धारण धारणा का पुरःस्थापन किया गया था। संशोधित उपबंधों के अनुसार तलाशी या अध्यापेक्षा के लिए प्राधिकरण का निष्पादन अब धारा 158ख के स्पष्टीकरण में परिभाषित है। इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए, वर्तमान धारा 158खड.

के बजाय धारा 158ख के निर्देश अद्यतन करने के लिए धारा 132ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड(ii) के संशोधन प्रस्तावित है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 37 और 38]

XVII. सुव्यवस्थित शास्तियां अधिरोपित करने की समय सीमा

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा के वर्जन के लिए उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 275 विभिन्न मामलों में शास्तियों के अधिरोपण के लिए बहु समय सीमा है, उदाहरण के लिए जहां मामला आईटीएटी के समक्ष अपील में है, शास्ति अधिरोपित करने के लिए समय सीमा वितीय वर्ष का अंत है जिसमें संबद्ध कार्यवाहियां पूरी की गई है या उस मास की समाप्ति से छह मास जिसमें अपील या आदेश प्राप्त हुआ है, जो भी बाद में हो। उसी तरह, विभिन्न समय सीमाओं को जेसीआईटी(अपील) या आयुक्त(अपील) को अपील में मामलों के लिए शास्ति अधिरोपण हेतु उपबंधित किया गया है। यह इसे प्रभावी तथा दक्ष कर प्रशासन के लिए बहु समय वर्जनीय तारीखों के उपर ट्रैक रखने के लिए कठिन बनाता है।

- 2. पूर्वगामी के दृष्टि में, अधिनियम की धारा 275 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपण के किसी आदेश को उस त्रैमासिक जिसमें यथास्थिति संबद्ध कार्यवाहियां पूरी की गई हैं या अधिकारिता प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त अपील का आदेश प्राप्त किया गया है या पुनरीक्षण आदेश पारित किया है या शास्ति अधिरोपण का नोटिस जारी किया है, के अंत से छह मास के अवसान के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा। अधिनियम की संशोधित धारा 275 के संदर्भ के अयतन के लिए अधिनियम की धारा 246क में पारिणामिक संशोधन भी प्रस्तावित हैं।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 69 और 83]

XVIII. न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक की प्रारंभिक तारीख और समाप्ति तारीख की अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144खक, धारा 153, धारा 153ख, धारा 153खड., धारा 158खचक, धारा 263,धारा 264 और दूसरी अनुसूची के नियम 68ख, अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि उस अविध को जिसके दौरान संबंधित धाराओं के अधीन कार्यवाहियों को किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोका गया है, कार्यवाहियों के निष्कर्ष के लिए समय सीमा की संगणना करने से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

- 2. तथापि, किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकी गई प्रारंभ तारीख और समाप्ति तारीख की अविध के संबंध में अस्पष्टता थी जिसे अपवर्जित किया जाना अपेक्षित था।
- 3. किसी भी आदेश को हटाने की दृष्टि से, अधिनियम के उक्त उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा वह तारीख जिस पर रोक अनुदत्त की जाती है, को आरंभ होने वाली अविध तथा तारीख का अंत जिस पर अधिकारिता प्रधान आयुक्त या आयुक्त (धारा 144खक की दशा में अनुमोदन पैनल) द्वारा रोक को समास करने वाले आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होती है, का अपवर्जन किया जा सके।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 41,43,44,49,50,72,73 और 86]

XIX. समामेलन की दशा में अग्रणित हानियों से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 72(क) और 72(कक) में यह उपबंध किया है कि समामेलन या व्यवसाय पुनर्गठन के मामलों में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाने और सेट-आफ करने से संबंधित उपबंध किए गए हैं जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है।

- 2 धारा 72क और 72कक में यह उपबंध किया है कि समामेलित इकाई या पूर्ववर्ती इकाई की संचित हानि को समामेलित इकाई या उत्तराधिकारी इकाई की पिछले वर्ष की हानि माना जाएगा जिसमें समामेलन या व्यवसाय पुनर्गठन प्रभावी हुआ है या लागू हुआ है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 72 में यह उपबंध किया है कि "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अधीन कोई भी हानि (सट्टेबाजी व्यवसाय से हानि से भिन्न) उस निर्धारण वर्ष के लिए तुरंत बाद 8 से अधिक निर्धारण वर्षों के लिए आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी।
- 3. अधिनियम की धारा 72 के उपबंधों के साथ स्पष्टता और समानता लाने के लिए, अधिनियम की धारा 72क और 72कक में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ती इकाई की संचित हानि के गठित भाग वाली कोई हानि, जिसे उत्तराधिकारी इकाई की हानि माना जाता है, उस निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद आने वाले निर्धारण वर्षों से अधिक समय तक आगे ले जाने के लिए पात्र होगी, जिसके लिए मूल पूर्ववर्ती इकाई हेतु ऐसी हानि की प्रथम बार गणना की गई थी। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कर्मिक समामेलन के परिणामस्वरुप पूर्ववर्ती इकाई की हानियों को सदैव बनाए रखना से रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद आने वाले आठ निर्धारण वर्षों के बाद संचित हानि को आगे ले जाने और स्थापित करने की अनुमित नहीं है, जिसके लिए ऐसी पूर्ववर्ती इकाई के लिए ऐसी हानि की प्रथम बार गणना की गई थी।
- 4. कर कितपयता उपबंध करने के लिए और किसी भूतलक्षी आवेदन से बचने के लिए, यह प्रस्तावित है कि उपरोक्त संशोधन किसी भी समामेलन या व्यवसाय पुनर्गठन पर लागू होंगे, जो 01.04.2025 को या उसके बाद प्रभावी होंगे।
- 5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 14 और 15]

${ m XX.}$ बहु-वर्ष आसन्निकट कीमत अवधारण कारित करने के लिए अंतरण कीमत उपबंधों का सुव्यवस्थिकरण

अंतरण कीमत उपबंध आसिन्नकट कीमत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से उद्भूत आय की संगणना को समर्थ करते हैं। ये उपबंध धारा 92 से 92च में अंतर्विष्ट हैं।

- 2. धारा 92गक आसिन्नकट कीमत संगणना के लिए अंतरण कीमत अधिकारी को किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की शासी कार्यवाही के संदर्भ का उपबंध करती है। धारा 92ग किसी अतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में आसिन्नकट कीमत की संगणना के लिए उपबंध करती है।
- 3. अंतरण कीमत उपबंधों में आसन्निकट कीमत का अवधारण अन्य बातों के साथ निम्नलिखित रीति में अग्रसर होता है:-
- निर्धारण अधिकारी, अंतरण कीमत अधिकारी को किसी पूर्व वर्ष में किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ आसिन्निकट कीमत की संगणना का संदर्भ कर सकेगा;

- 92ग की उपधारा(3) के अनुसरण में उक्त संव्यवहार के संबंध में अंतरण कीमत अधिकारी आसन्निकट कीमत का अवधारण करता है तथा उसके आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी तथा निर्धारीत को भेजता है;
- निर्धारण अधिकारी, आसिन्निकट कीमत के साथ सम्मित में जैसे अंतरण कीमत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, धारा 92ग की उपधारा(4) के अधीन ऐसे पूर्व वर्ष के लिए निर्धारीति की कुल आय की संगणना के लिए अग्रसर होगा।
- 4. यह नोट किया गया है कि बहुत से मामलों में,धारा 92गक के अधीन आसिन्नकट कीमत के संदर्भ में, विभिन्न वर्षों के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट संव्यवहार चल रहे हैं, वही तथ्य जैसे, उद्यम जिसके साथ ऐसा संव्यवहार किया गया है, संव्यवहार का आनुपातिक परिमाण, संयुक्त उद्यम का अवस्थान आदि तथा प्रत्येक वर्ष आसिन्नकट विश्लेषण दोहराए जाते हैं जिससे निर्धारीति पर अनुपालन बोझ के साथ-साथ अंतरण कीमत अधिकारी पर प्रशासिनक बोझ बनाया जा सके। उसी दृष्टि में ऐसी परिस्थितियों में अंतरण कीमत निर्धारण एक ब्लॉक में किया जाना प्रस्तावित है।
- 5. इस प्रकार यह उपबंध किया जाना प्रस्तावित है कि किन्हीं पूर्व वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित आसन्निकट कीमत, ऐसे पूर्व वर्षों के तुरंत पश्चात दो क्रमवर्ती पूर्व वर्षों के समान संव्यवहार को लागू होगी। उसी के लिए, निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित है:-

5.1 अंतरण कीमत अधिकारी को संदर्भ

- (I) निर्धारीति के लिए, यथाविहित प्ररुप, रीति और ऐसी समयाविध के भीतर उपरोक्त के प्रभाव में विकल्प या विकल्पों का प्रयोग करना अपेक्षित होगा [धारा 92गक में नई उपधारा (3ख)];
- (II) अंतरण कीमत अधिकारी, उस मास जिसमें ऐसे विकल्प के प्रयोग किया गया था से एक मास के भीतर आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि विहित शर्तों के अधीन विकल्प विधिमान्य है [धारा 92गक में नई उपधारा (3ख)];
- (III) यदि अंतरण कीमत अधिकारी घोषणा करता है कि निर्धारीति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प विधिमान्य है:-
 - िकसी पूर्व वर्ष के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित आसिन्निकट कीमत, ऐसे पूर्व वर्ष के तुरंत पश्चात दो क्रमवर्ती पूर्व वर्षों के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार लागू होगा [धारा 92गक में नई उपधारा (3ख)];
 - अंतरण कीमत अधिकारी, ऐसे क्रमवर्ती पूर्व वर्षों के लिए ऐसे समान संव्यवहार के संबंध में आसिन्नकट कीमत का परीक्षण तथा अवधारण, धारा 92गक की उपधारा(3) में निर्दिष्ट क्रम में करेगा [धारा 92गक में नई उपधारा (4क)];
 - अंतरण कीमत अधिकारी से ऐसा आदेश प्राप्त होने पर, निर्धारण अधिकारी धारा 155 की उपधारा (21) के उपबंधों के अनुसार ऐसे क्रमवर्ती पूर्व वर्षों के लिए निर्धारीति की कुल आय की पुनः संगणना करेगा [धारा 92गक में नई उपधारा (4क)];
 - ऐसे संव्यवहार के संबंध में आसिन्नकट कीमत की संगणना के लिए कोई संदर्भ नहीं किया जाएगा [धारा 92गक की उपधारा (1) का नया पहला परंतुक];
 - अंतरण कीमत अधिकारी द्वारा उपरोक्त घोषणा से पूर्व या पश्चात, यदि ऐसे परिदृष्य में कोई संदर्भ किया
 गया है, तो धारा 92गक की उपधारा (1) के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा, मानो ऐसे संव्यवहार के लिए
 कोई संदर्भ नहीं किया गया है [धारा 92गक की उपधारा (1) का नया दूसरा परंत्क];

- (IV) ऊपर वर्णित विकल्प का प्रयोग करने और पारिणामिक कार्यवाहियों के उपबंध अध्याय 14ख के अधीन किसी कार्यवाही को लागू नहीं होंगे [धारा 92गक में नए उपधारा (3ख) का परंत्क];
- (V) यदि धारा 92गक की उपधारा (3ख) और उपधारा (4क) के उपबंधों को प्रभारी करने के लिए कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा और बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दिशा-निर्देश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और आय-कर प्राधिकारियों तथा निर्धारितियों पर आबद्धकर होगा [धारा 92गक में नई उपधारा (11)] ।

5.2 धारा 155 के अधीन आय की प्न: संगणना

धारा 155 में एक नई उपधारा (21) अंतःस्थापित की जाएगी जिससे कि जहां किसी पूर्ववती्र वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के लिए अवधारित एएलपी और टीपीओ ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक अगले दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित किया गया है, तब -

- (I) निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी जाने वाली सूचना का संशोधन करके ऐसे क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की संगणना -
 - * टीपीओ द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंध में धारा 92गक की उपधारा (4क) के अधीन इस प्रकार अवधारित एएलपी की अन्रूपता में ;
 - * ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई है, पर विचार करके करेगा ;
- (II) ऐसी पुन:संगणना उस मास की समाप्ति से तीन मास के भीतर की जाएगी जिसमें ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण पूरा किया जाता है ;
- (III) धारा 92ग की उपधारा (4) का पहला और दूसरा परंत्क ऐसी प्न:संगणना को लागू होगा ;
- (IV) ऐसी पुन:संगणना उस मास की समाप्ति से तीन मास के भीतर की जाएगी जिसमें निर्धारण का आदेश या कोई सूचना या समझी जाने वाली सूचना दी गई है, यदि वह ऊपर वर्णित अनुसार तीन मास की अविध से पूर्व नहीं दी गई है।
- 6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तद्रुसार, निर्धारण वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 21 और 45]

XXI. आय की विवरणी फाइल न करने वालों के लिए उच्चतर टीडीएस/टीसीएस का हटाया जाना

अधिनियम की धारा 206कख में उच्चतर दर पर कर कटौती की अपेक्षा करती है कि जब विनिर्दिष्ट कटौतीकर्ता आयकर विवरणी गैर-दाखिलकर्ता हो। अधिनियम की धारा 206गगक में उच्चतर दर पर कर संग्रह तब अपेक्षित है जब विनिर्दिष्ट संग्रहकर्ता आयकर विवरणी गैर-दाखिलकर्ता हो। यह इन धाराओं में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्याधीन है।

- 2. विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कटौती या संग्रह के समय कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता के लिए यह सत्यापित करना कठिन होता है कि कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता द्वारा विवरणी फाइल कर दी गई है, जिसका परिणाम कटौती/संग्रह की उच्चतर दरों पर लागू होना, पूंजी का निरूद्ध होना और अन्पालन भार का बढ़ना होता है।
- 3. तद्रुसार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए और कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता के लिए अनुपालन भार को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 206कख और अधिनियम की धारा 206गगक के लोप किए जाने का प्रस्ताव है।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

[खंड 65, 66 और 68]

घ. समाजिक आर्थिक कल्याण उपाय

परिलब्धिओं की संगणना के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की आय पर सीमा में वृद्धि

धारा 17 का खंड (2) के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ उपबंधित करते हैं कि 'परिलिब्धि' में किसी नियोजक (कंपनी सिहत) द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी, जिसकी आर्थिक फायदे के रूप में "वेतन" मद के अधीन आय पचास हजाार रूपए से अधिक न हो, को मुफ्त में या रियायती दर पर प्रदान की गई या उपलब्ध कराई गई किसी फायदा या सुविधा का मूल्य सिम्मिलित है। आय पर यह ऊपरी सीमा वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा अवधारित की गई थी।

- 2. और यह कि धारा 17 का खंड(2) का परंतुक उपबंधित करता है कि नियोजक द्वारा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर भारत से बाहर यात्रा के लिए उपगत व्यय 'परिलब्धि' में सिम्मिलित नहीं होगा, परंतु यह तब जब ऐसे कर्मचारी की सकल कुल आय दो लाख रूपए से अधिक न हो। आय पर यह उपरी सीमा वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा अवधारित की गई थी।
- 3. परिलिब्धिओं के संगणन के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों के आय पर ये सीमाएं क्रमश: 20 और 30 वर्षों पहले रखी गई थी। इसलिए जीवन के स्तर और आर्थिक शर्तों में परिवर्तन के परिवर्तन के कारण इन सीमाओं को समायोजित करने की आवश्यकता है।
- 4. यह प्रस्ताव है कि धारा 17 के उपबंधों का संशोधन किया जाए जिससे कर्मचारियों की सकल कुल आय पर सीमा बढ़ाने के लिए नियम विहित किए जाने की शक्ति अभिप्राप्त की जा सके जिससे कि,-
 - (I) ऐसे कर्मचारीयों द्वारा प्राप्त फायदें और सुविधाओं परिलब्धिओं के रूप में माने जाने से छूट प्राप्त होगी।
 - (II) नियोजक द्वारा ऐसे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के चिकित्सा उपचार पर भारत से बाहर यात्रा के लिए उपगत व्यय परिलब्धि नहीं माना जाएगा।
- 5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तद्रुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चावर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 9]

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) वात्सल्य में किए गए अभिदाय हेतु धारा 80गगघ के अधीन कटौती

एनपीएस वात्सल्य स्कीम आधिकारित तौर पर 18 सितम्बर, 2024 को चालू की गई थी जिससे अभिभावकों और संरक्षकों को अपने बालकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम खाता आरंभ करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । यह बचत-सह-पेंशन स्कीम अनन्य रूप से अवयस्कों के लिए बनाई गई है । जब कोई अवयस्क 18 वर्ष का हो जाता

- है, तो खाता संचालन में बना रहेगा, संचित कोष बालक के नाम में अंतरित हो जाएगा और एनपीएस-टीयर 1 खाता - सर्व नागरिक मॉडल या अन्य गैर-एनपीएस स्कीम खातें में स्थानांतरित हो जाएगा ।
- 2. एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए किए गए अभिदायों के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगघ के अधीन राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के लिए उपलब्ध कर फायदों का निम्नलिखित रूप में विस्तार करने का प्रस्ताव है:-
 - I. एनपीएस के अधीन किसी अवयस्क के खाते में संदत्त या जमा रकम पर धारा 80गगघ की उपधारा (1ख) के अधीन आदिष्ट अनुसार कुल 50,000/- रुपए की अधिकतम रकम के लिए अभिभावक/संरक्षक की कुल आय से कटौती अनुज्ञात की जाए;
 - II. ऐसी रकम पर या उस पर प्रोद्भूत किसी रकम पर, जिस पर धारा 80गगघ की उपधारा (1ख) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, तब कर प्रभारित किया जाएगा जब उस स्थिति में ऐसी रकम व्यपहृत की जाती है जहां निक्षेप किसी अवयस्क के खाते में किया गया था ; और
 - III. वह रकम जिस पर कटौती अनुजात की गई है और अवयस्क की मृत्यु हो जाने के कारण खाते बंद होने पर प्राप्त की गई है, अभिभावक/संरक्षक की आय नहीं समझी जाएगी ।
- 3. एनपीएस वात्सलय स्कीम में अवयस्क की शिक्षा, विनिर्दिष्ट बीमारियों और निर्योग्यता (75% से अधिक) के उपचार जैसी कितपय आकिस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए अवयस्क के खाते से आंशिक निकासी भी अनुज्ञात की गई है। तद्रुसार, अधिनियम की धारा 10 में एक खंड (12खक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि अवयस्क के खाते से आंशिक निकासी करने पर प्राप्त किसी रकम को उस सीमा तक संरक्षक की कुल आय में सिम्मिलित नहीं किया जाएगा जिस सीमा तक उसके द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के 25% से अधिक नहीं है और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) और तद्दीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार है।
- 4. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तद्रुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 औरा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे ।

[खंड 6 और 17]

III. व्यष्टिकों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम से निकासी पर कराधान से छूट

धारा 80गगक में, अन्य बातों के साथ, किसी व्यष्टि, या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीम में निक्षेप की गई किसी रकम के लिए कटौती के लिए उपबंध किया गया है। यह भी उपबंधित है कि ऐसी रकम के संबंध में कटौती 1 अप्रैल, 1992 को या उसके पश्चात् अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

2. धारा 80गगक की उपधार (2) में यह उपबंधित है कि जहां स्कीम के अधीन निर्धारित के खाते में जमा ऐसी रकम, ऐसी रकम पर प्रोद्भूत ब्याज सिहत वापस ली जाती है, वहां इसे निर्धारित की आय समझा जाएगा और कर के लिए प्रभार्य होगी। चूंकि इस उपबंध को 1 अप्रैल, 1992 से बंद कर दिया गया है इसलिए वापस ली गई कर योग्य रकमें वे हैं जो वितीय वर्ष 1991-92 और इससे पहले जमा की गई थी, और जिन पर कटौती का दावा किया गया था। इसके अतिरिक्त, तारीख 17 मार्च, 1999 को जारी परिपत्र सं. 532 में यह उपबंध किया गया था कि जमाकर्ता की मृत्यु के कारण खाता बंद होने पर प्रत्याहत रकम विधिक उत्तराधिकारियों के हाथों में कर के लिए प्रभार्य नहीं थी।

- 3. आर्थिक कार्य विभाग ने तारीख 29 अगस्त, 2024 को एक अधिसूचना यह उपबंधित करते हुए जारी की थी कि तारीख 1 अक्तूबर, 2024 के पश्चात् राष्ट्रीय बचत स्कीम में अधिशेषों पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा । धारा 80गकक का उचित रूप से संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिससे ऐसे व्यक्तियों को हो रही कठिनाई के लिए राहत प्रदान की जा सके जो इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रत्याहत करने के लिए बाध्य हुए थे ।
- 4. अत:, धारा 80गगक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे व्यक्तियों द्वारा इन निक्षेपों से किए गए निकाली गई रकम के लिए छुट प्रदान की जा सके जिसके लिए 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् कटौती अनुज्ञात की गई थी । यह छुट 1 अप्रैल, 1992 से पूव्र किए गए निक्षेपों के लिए उन पर प्रोद्भूत ब्याज सिहत प्रदान की जाती है क्योंकि ऐसी रकमें हैं जिनकी बाबत कटौती अनुज्ञात की गई है ।
- 5. यह संशोधन तारीख 29 अगस्त, 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ।

[खंड 16]

IV. स्वाधिभोगी संपत्ति का सरलीकृत वार्षिक मूल्य

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 23 वार्षिक मूल्य के अवधारण से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा 2 में उपबंध किया गया है कि जहां स्वामी के निवास के प्रयोजनों के लिए गृह संपित उसके अधिभोग में है या स्वामी किसी अन्य स्थान पर चल रहे उसके रोजगार, कारबार या वृति के कारण वास्तविक रूप से उसका उपभोग नहीं कर रहा है, ऐसी दशा में, ऐसी गृह संपित का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि उक्त नियम की उपधारा 2 के उपबंध केवल 2 गृह संपित के संबंध में लागू होंगे, जिन्हें स्वामी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है।

- 2. उपबंधों के सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त उपधारा का संशोधन प्रस्तावित किया जाता है तािक ये उपबंध किया जा सके कि यदि स्वामी कोई संपत्ति का, जिसमें कोई गृह या उसका कोई भाग आता है, उसके अपने निवास के लिए अधिभोग कर रहा है या किसी अन्य कारण से उसका वास्तविक अधिभोग नहीं कर रहा है, तो उसका वािषक मूल्य शून्य होगा। धारा 23 की उपधारा 4 के उपबंध में जिनमें केवल ऐसे 2 गृहों के संबंध में इस फायदे को अन्ज्ञात किया गया हैं, उसी तरह लागू होना जारी रहेंगे जैसे पूर्व में थे।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और तद्रुसार निर्धारण वर्ष 2025-26 से लागू होगा।

[खंड 10]

ड. कर प्रशासन

क्रिप्टो-आस्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता

आयकर अधिनियम,1961(अधिनियम) की धारा 155खखज के अधीन वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा आभासी डिजिटल आस्तियों का कराधान पुरःस्थापित किया गया है जिसमें आभासी डिजिटल आस्ति का अंतरण व्यय(अर्जन की लागत से भिन्न) के संबंध में बिना कटौती के साथ 30 प्रतिशत की अनुज्ञात दर पर कराधेय होगा। आभासी डिजिटल आस्ति को परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 में खंड(47क) अंतःस्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, आभासी डिजिटल आस्तियों के संव्यवहार के ब्यौरे के अभिग्रहण के लिए, अधिनियम में धारा 194ध को अतःस्थापित किया गया था ताकि आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के संदाय पर, संव्यवहार मूल्य, जिसमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं जिनमें संव्यवहार वस्तु या भागतः नगद में किया गया है, 1% का दर पर कर कटौती का उपबंध हो सके।

- 2. अब क्रिप्टो-आस्ति की सूचना बाध्यता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम में धारा 285खकक का अंतःस्थापन प्रस्तावित किया जाता है, जिसमें—
- (I) अधिनियम की धारा 285खकक की उपधारा(1) कथन करती है कि कोई व्यक्ति रिपोर्टिग अस्तित्व के रूप में, क्रिप्टो आस्ति के संबंध में जैसा विहित किया जाए, किसी विवरण में, ऐसी क्रिप्टो आस्ति में, किसी संव्यवहार के संबंध में सूचना, ऐसी अवधी के लिए, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररुप और रीति में तथा जैसा विहित किया जाए, ऐसे आयकर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा,
- (II) उक्त धारा की उपधारा 2 कथन करती है कि विहित आयकर प्राधिकारी का विचार है कि, प्रस्तुत किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण है, उस व्यक्ति को त्रुटि की सूचना दे दी जाए जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है तथा ऐसी सूचना की तारीख से या ऐसी और अविध जो अनुज्ञात की जाए की तारीख से 30 दिन की अविध के भीतर त्रुटि को ठीक करने का अवसर उसे प्रदान किया जाए, तथा यदि त्रुटि अनुज्ञात पूर्वोक्त अविध के भीतर ठीक नहीं की जाती है तो इस अिधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होगें जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने विवरणी में अशुद्ध सूचना प्रस्तुत की थी।
- (III) उक्त धारा की उपधारा(3) कथन करती है कि जहां किसी व्यक्ति से विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, ने विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे प्रस्तुत नहीं किया है, विहित आयकर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देकर दी गई समयाविध के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षा करते हैं तथा वह नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (IV) उक्त धारा की उपधार(4) कथन करती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने विवरण प्रस्तुत किया है या जारी नोटिस के अनुसरण में, विवरण में उपबंधित सूचना में किसी अशुद्धि को ज्ञात करता है या पाता है, वह दी गई अविध के भीतर ऐसे विवरण में अशुद्धि की सूचना आयकर प्राधिकारी को देगा तथा यथा विहित ऐसी रीति में शुद्ध सूचना प्रस्तुत करेगा।
- (V) उक्त धारा की उपधारा(5) कथन करती है कि केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित आयकर प्राधिकारी के साथ रिजस्ट्रीकृत होने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, सूचना की प्रकृति तथा रीति जिसमें ऐसी सूचना व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित की जाएगी तथा किसी क्रिप्टो आस्ति उपयोक्ता या स्वामी की पहचान के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा सम्यक तत्परता कारित की जाए।
- 3. उपखंड घ अंतःस्थापित करने के लिए धारा 2 के खंड 47क का संशोधन भी प्रस्तावित है, जो कथन करता है कि आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा के अंतर्गत, कोई डिजिटल प्रत्यावेदन का मूल्य जो क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षित वितरीत लेजर या संव्यवहारों के विधि मान्य और सुरक्षित समान प्रचौगिकी की दर निर्भर करता है, किसी क्रिप्टो आस्ति के रूप में भी आती है, चाहे वह पहले से ही आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा में सम्मिलित हो या नहीं।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगें।

[खंड 3 और 85]

II. धारा 115फत के अधीन आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध समय सीमा का बढ़ाया जाना

अधिनियम की धारा 115फत टनेज कर स्कीम के लिए चुनने की पद्धित और समय से संबंधित है, जिसके अधीन किसी निर्धारीति का संगणन अध्याय XII-छ के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अधिनियम की धारा 115फत की उपधारा (1) उपबंध करती है कि अर्हक कंपनी ऐसी स्कीम के लिए विहित, कंपनी पर अधिकारिता रखने वाले संयुक्त आयुक्त को, आवेदन कर टनेज कर स्कीम को चुन सकती है।

- 2. उक्त धारा की उपधारा (3) में अपेक्षित है कि संयुक्त आयुक्त ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कंपनी से ऐसी सूचना या दस्तावेज मांग सकेगा जैसा वह उचित समझे और ऐसी कंपनी के टनेज कर स्कीम के लिए चुनाव करने की पात्रता के बारे में संतुष्ट हो जाने के पश्चात्, टनेज कर स्कीम के चुनाव के अनुमोदन का लिखित में आदेश पारित करेगा या यदि वह संतुष्ट नहीं होता है, तो सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसे अनुमोदन को नामंजूर कर सकेगा। उक्त धारा की उपधारा (4) अधिनियम की धारा 115फत की उपधारा(3) के अधीन आदेश की अपेक्षा करती है कि चाहे उक्त धारा की उपधारा(1) के अधीन प्राप्त आवेदन जिसमें मास के अंत से एक मास के अवसान से पूर्व टनेज कर स्कीम के चुनाव के प्रयोग का आवेदन अनुमोदित या नामंजूर हो या नहीं।
- 3. यह देखा गया है कि सूचना और दस्तावेज, जिसमें यदि आवश्यक हो तो पोत का भौतिक निरीक्षण सिम्मिलित है, के सत्यापन के लिए, सुने जाने का अवसर देने के लिए और आवेदन के अनुमोदन या अस्वीकार किए जाने के तर्कसंगत आदेश के पारित किए जाने के लिए संयुक्त आयकर आयुक्त के पास अधिनियम की धारा 115फत की उपधारा(4) के अधीन बहुत कम समय रहता है।
- 4. तदुसार, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए धारा 115फत की उपधारा(4) के संशोधन कर यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के लिए, उपधारा(3) के अधीन आदेश उस तिमाही, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है, की समाप्ति से तीन मास के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा।
- 5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 32]

III. आदेश पारित करने की समय सीमा की संगणना के लिए अवधि, जैसे कि न्यायलय द्वारा रोक आदि का अपवर्जन

अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा(7क) उपबंध करती है कि अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (3ख) के अधीन वितीय वर्ष जिसमें कर संग्रहणीय था, के अंत से 6 वर्ष के अवसान के पश्चात या वितीय वर्ष जिसमें शुद्ध कथन परिदत्त किया गया है, के अंत से 2 वर्ष, जो भी बाद में हो, किसी व्यक्ति से कर का पूर्ण या कोई भाग संग्रहण करने में असफलता के लिए व्यतिक्रम में किसी व्यक्ति को निर्धारीति समझा जाए, के लिए कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

- 2. अधिनियम की धारा 206ग के उपधारा (7क) के अधीन समय सीमा संगणीत करने के दौरान वह समयाविध जिसके लिए किसी न्यायालय के आदेश द्वारा कार्यवाहियों पर रोक लगायी गई थी, के अपवर्जन का उपबंधित किया जाना अपेक्षित है।
- 3. यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा(7क) का संशोधन किया जाए जो यह उपबंध करे कि अधिनियम की धारा 153 के सुसंगत उपबंध अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (7क) में विहित समय सीमा पर लागू होगें।
- 4. संशोधन 1 अप्रैल, 2025 प्रभावी होगें।

[खंड 67]

IV. <u>टीसीएस के संदाय में विलंब के लिए अभियोजन से छूट</u>

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 276खख केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय के लिए स्रोत पर संग्रहित कर संदाय में असफल रहने की दशा में अभियोजन का उपबंध करती है। उक्त धारा के उपबंध विवरण करता है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 206ग के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित उसके द्वारा संग्रहित कर केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय को संदाय करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अविध के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो 3 मास से कम नहीं होगी किन्त् 7 वर्ष तक और जुर्माने के साथ बढ़ाई जा सकेगी।

- 2. अधिनियम की धारा 276खख का संशोधन प्रस्तावित है जिससे उक्त धारा के अधीन आने वाले व्यक्ति को अभियोजन से छूट का उपबंध किया जा सके, यदि ऐसे संदाय के संबंध में धारा 206ग के उपधारा(3) के परंतुक के अधीन त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए विहित समय पर या समय से पूर्व केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में स्रोत पर संग्रहित कर का संदाय किया गया है।
- 3. यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

V. निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित कतिपय शास्तियां:

अधिनियम की धारा 271ग, 271गक, 271घ, 271घक,271 घख तथा 271इ, अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करती है कि इन धाराओं के अधीन शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी। हालांकि ऐसे मामलों में निर्धारणीय अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, इन धाराओं के अधीन शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जा रही है।

- 2. प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियम की धारा 271ग, 271गक, 271घ,271घक, 271घख और 271इ का संशोधन प्रस्तावित है तािक इन धाराओं के अधीन शास्तियां अधिनियम की धारा 274 की उपधारा(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए संयुक्त आयुक्त के स्थान पर निर्धारणीय अधिकारी द्वारा उदग्रहित की जाएंगी। इस प्रकार, जहां शास्ति की रकम अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होती है, शास्ति आदेश पारित करने के लिए निर्धारणीय अधिकारी संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन लेगा।
- 3. अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (ढ) में पारिणामिक संशोधन करना और प्रस्तावित है।
- 4. आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 271खख, पूंजी के पात्र निर्गमन के लिए अभिदाय करने में असफल रहने पर शास्ति का उपबंध करती है। यह और उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति जो, इसमें विनिर्दिष्ट छह मास की अविध के भीतर उस उपधारा के अधीन पात्र पूंजी के निर्गमन को धारा 88क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम के अधीन जारी ईकाईयों के अभिधान की रकम का अभिदाय करने में असफल रहता है संयुक्त आयुक्त द्वारा ऐसी रकम के 20% के बराबर राशि शास्ति के माध्यम द्वारा संदेय करने के लिए निदेशित किया जा सकेगा। तथापि, धारा 88क 1 अप्रैल, 1994 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ वित्त(सं.2) अधिनियम, 1996 द्वारा पहले ही लोप किया जा चुकी है। मूल धारा की अनुपस्थिति में किसी असफलता की दशा में शास्ति धारा की सुसंगतता विद्यमान नहीं रहती है। इसलिए, धारा 271खख का लोप प्रस्तावित है।
- 5. यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 69,76,77,78,79,80,81 और 82]

VI. कतिपय मामलों में स्कीमों की विरचना पर तारीख निर्बंधनों को हटाना

केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के अधीन कितपय प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाने के लिए करदाताओं के बीच व्यक्ति दर व्यक्ति इंटरफेस को हटाने और विभाग द्वारा तकनीकी साध्य का विस्तार करने और स्रोतों की श्रेष्ठतम उपयोगिता उपबंध करने तथा डायनेमिक अधिकारिता के साथ निर्धारण आधारित टीम द्वारा असंख्य उपाय किए हैं। करदाताओं तथा अर्थव्यवस्था के हित के लिए प्रत्यक्ष कर प्रशासन के डोमेन में भविष्य के सुधारों की एक श्रृंखला पुरःस्थापित की गई है।

- 2. इस संबंध में अधिनियम की धारा 92गक, 144ग, 253 के अधीन पहचान विहिन स्कीम को अधिसूचित करने के लिए 1-11-2020 के प्रभाव से टोला के माध्यम से अधिनियम में सामर्थ्यकारी उपबंध पुरःस्थापित किया गया था, 1-4-2021 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से अधिनियम की धारा 255 के अधीन अंतःस्थापित किया गया था। और, वित्त अधिनियम 2022 द्वारा कार्यान्वयन में चुनौतीयों के कारण अधिसूचना की समय सीमा 31-03-2024 तक बढ़ा दी गई थी। और वित्त अधिनियम 2024 द्वारा इन धाराओं के अधीन स्कीम की संरचना में विभिन्न चुनौतीयों के कारण ऐसी अधिसूचना की समय सीमा आगे और 31-03-2025 तक बढ़ा दी गई थी।
- 3. इस संबंध में ये प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 92गक, 144ग, 253 और 255 के अधीन पहचान विहिन स्कीमों की अधिसूचना के लिए विहित अंतिम तारीख का लोप किया जा सकता है ताकि केन्द्रीय सरकार 31 मार्च 2025 की कटऑफ तारीख के बाद भी निदेश जारी कर सके, यदि अपेक्षित हो।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 21,42,70 और 71]

VII. शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अवधि का विस्तारण :-

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक में, अन्य बातों के साथ, उसमें यथा उल्लिखित कितपय शर्तों के पूरा होने के अध्याधीन, निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति या अभियोजन के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। उक्त धारा की उप-धारा (2) में उपबंध किया गया है कि शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए, उस मास के अंत से, जिसमें निर्धारिती द्वारा उक्त धारा की उप-धारा(1) के खंड(क) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त किया गया है, एक मास के अंदर आवेदन किया जाएगा। उक्त धारा की उप धारा (4) में उपबंध किया गया है कि निर्धारण अधिकारी उन्मुक्ति का अनुरोध करने वाले आवेदन के प्राप्त होने के मास के अंत से एक मास की अविध के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा।

- 2. पणधारियों से इनपुट प्राप्त हुए हैं कि करदाता इस सीमित अविध में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने में किठनाईयों का सामना कर रहे हैं और इस प्रकार उनके आवेदनों के प्रक्रमण के लिए अविध बढ़ाई जा सकेगी।
- 3. इसी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 270कक की उप-धारा (4) का संशोधन प्रस्तावित किया जाता है ताकि प्रक्रिया अवधि को उस मास के अंत से, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्मुक्ति के लिए आवेदन प्रापत किया है, तीन मास तक बढ़ाया जा सके।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 74]

VIII. अद्यतन विवरणी फाइल करने की समय सीमा का विस्तार

अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (8क), अयतन विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित है। वर्तमान उपबंधों के अन्सार कोई अयतन विवरणी स्संगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 मास के भीतर फाइल की जा सकती है।

अद्यतन विवरणी की सुविधा ने सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 मास तक फाइल अद्यतन विवरणी के लिए कुल कर और संदेय ब्याज का 25% अतिरिक्त आयकर के संदाय के विरूद्ध स्वतः अनुपालना के लिए संवर्धित किया है। सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 मास के अवसान के पश्चात और 24 मास तक फाइल की गई अद्यतन विवरणी के लिए कुल कर तथा ब्याज का अतिरिक्त 50% आयकर संदत्त किया जाएगा।

- 2. स्वतः अनुपालन को और बढ़ाने की दृष्टि से, उक्त उपधारा का संशोधन प्रस्तावित है तािक अयतन विवरणी फाइल करने की समय सीमा का विस्तार सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से विग्रमान 24 मास से 48 मास तक की जा सके। सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 मास के अवसान के पश्चात तथा 36 मास तक फाइल की गई अग्रतन विवरणी के लिए संदेय अतिरिक्त आयकर की दर संदेय कुल कर तथा ब्याज का 60% होगी तथा सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 मास के अवसान के पश्चात तथा 48 मास तक संदेय कुल कर तथा ब्याज का 70% होगी।
- 3. यह उपबंध करने के लिए और प्रस्तावित है कि किसी व्यक्ति द्वारा, जहां सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 मास के पश्चात उसके मामले में धारा 148क के अधीन कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाएगी। तथापि, जहां तत्पश्चात धारा 148 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, यह अवधारण करने के लिए कि धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए यह उचित मामला नहीं है, अद्यतन विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 मास तक फाइल की जा सकती है।
- 4. यह संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 39 और 40]

IX. भारतीय यूनिट ट्रस्ट(एसयूयूटीआई) के विनिर्दिष्ट उपक्रम पर छूट का विस्तार

एसयूय्टीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002) के द्वारा बनाया गया था। यह तत्कालीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) का उत्तराधिकारी है और तत्कालीन यूटीआई के खाते पर सरकारी दायित्व के परिनिर्धारण के लिए आदेशित है।

- 2. यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा(1) के अनुसार एसयूयूटीआई को आयकर के संदाय से 31 मार्च, 2023 तक की छूट दी गई थी। वित्त अधिनियम, 2023 ने इस तारीख को 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करने के लिए यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 का संशोधन किया।
- 3. यह प्रतिवेदन किया गया है कि स्कीम के मोचन, पूर्ण रकम के संदाय, लंबित मुकदमे आदि से संबंधित एसयूयूटीआई के कार्य 31 मार्च, 2025 से परे तक का विस्तार प्रत्याशित है अर्थात उस समय सीमा से परे जिस तक आयकर छूट दी गई है।
- 4. उपरोक्त को देखते हुए, धारा 13 की उपधारा (1) के संशोधन द्वारा, यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 के संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह उपबंध किया जाए कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय, लाभ या अभिलाभ से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, आयकर या कोई अन्य कर, विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्रशासक द्वारा, उस अवधि के लिए जो नियुक्ति के दिन से प्रारंभ हुई हो और 31 मार्च, 2027 को समाप्त हुई हो, विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न हुई किसी आय, लाभ या अभिलाभ से या प्राप्त हुई किसी रकम से संबंधित हो, संदेय नहीं होगा।
- 5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

[खंड 131]

निर्वचन के विचलन की दशा में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

वित विधेयक, 2025 का स्पष्टीकारक ज्ञापन

सीमा शुल्क

नोट:

- (क) "मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहित सीमा शुल्क है।
- (ख) "कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)" का अर्थ सीमा शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के अधीन उद्गहित है।
- (ग) "स्वास्थ्य उपकर" का अर्थ सीमा शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 141 के तहत लगाया जाता है।
- (घ) "सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस)" का अर्थ सीमा शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 के अधीन उद्गृहित है।
- (ङ) वर्गाकार कोष्ठकों में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2025 के खंड को इंगित करती है।
- (च) वित्त विधेयक, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तिथि से प्रभावी होंगे या 1 मई 2025 से प्रभावी होंगे।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक,
		2025 का खंड
	ये परिवर्तन वित्त विधेयक, 2025 के अधिनियमित होने की तिथि से प्रभावी होंगे	
(i)	धारा 18 में नई उपधारा का अन्तःस्थापन	
	क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 में एक नई उपधारा (1ख) जोड़ी जा रही है, तािक अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की निश्चित समय-सीमा प्रदान की जा सके। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस समय-सीमा को एक वर्ष की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ाया जा सकता है।	[87]

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक,
		2025 का खंड
	इसके अलावा, इसमें यह भी प्रावधान है कि लंबित मामलों के लिए समय-सीमा की गणना वित विधेयक की स्वीकृति की तिथि से की जाएगी। ख) एक नई उपधारा (1ग) जोड़ी जा रही है, ताकि कुछ आधार	[87]
	प्रदान किए जा सकें, जिन पर अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा निलंबित रहेगी।	[07]
(ii)	नई धारा का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के बाद एक नई धारा 18क डाली जा रही है, ताकि निकासी के बाद प्रविष्टि में स्वैच्छिक संशोधन किया जा सके, ताकि आयातक और निर्यातक निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित शर्तों के अनुसार माल के संबंध में की गई किसी भी प्रविष्टि को संशोधित कर सकें। इसमें ऐसी प्रविष्टि को स्वम्ल्यांकन के रूप में मानने और शुल्क के भुगतान की अनुमित देने या संशोधित प्रविष्टि को धारा 27 के तहत वापसी के दावे के रूप में मानने का भी प्रावधान है। इसमें कुछ ऐसे मामलों के लिए भी प्रावधान है, जहां यह धारा लागू नहीं होगी।	[88]
(iii)	धारा 27(1) में नए स्पष्टीकरण का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 की उपधारा 1 में एक नया स्पष्टीकरण डाला जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18क के तहत संशोधित प्रविष्टि या धारा 149 के तहत संशोधन के परिणामस्वरूप रिफंड के दावे की सीमा अविध शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख से एक वर्ष होगी।	[89]
(iv)	धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 में नए खंड का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड डाला जा रहा है, जिसमें धारा 18क के तहत संशोधित प्रविष्टि के तहत शुल्क का भुगतान किए जाने की स्थिति में प्रासंगिक तिथि, शुल्क या ब्याज के भुगतान की तिथि होगी।	[90]

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक,
		2025 का खंड
(v)	धारा 127क में नए खंड का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127क के खंड (घ) और (ड.) के बाद एक नया खंड डाला जा रहा है, जिसमें अंतरिम बोर्ड, अंतरिम बोर्ड के सदस्य और लंबित आवेदनों को परिभाषित किया जाएगा।	[91]
(vi)	धारा 127ख में नई परंतुक का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127ख की उपधारा (5) के बाद नए परंतुक जोड़े जा रहे है, ताकि इस धारा के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की जा सके	[92]
(vii)	धारा 127ग में नई उपधारा का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127म की उपधारा (11) के बाद एक नई उपधारा जोड़ी जा रही है, अंतरिम बोर्ड द्वारा विस्तार के लिए समय सीमा प्रदान करने के लिए।	[93]
(viii)	धारा 127घ में नई उपधारा का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127घ की उप-धारा (2) के बाद एक नई उप-धारा जोड़ी जा रही है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि निपटान आयोग की शक्तियों का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के आगे के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सिहत अंतरिम बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे निपटान आयोग पर लागू होते हैं।	[94]
(ix)	धारा 127च में नई उपधारा का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127च की उपधारा (4) के पश्चात एक नई उपधारा जोड़ी जा रही है, जिसमें यह प्रावधान है कि निपटान आयोग की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।	[95]

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक,
		2025 का खंड
(x)	धारा 127छ में नई परंतुक का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127छ में एक प्रावधान सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें यह प्रावधान है कि निपटान आयोग की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।	[96]
(xi)	धारा 127ज में नई उपधारा का अन्तःस्थापन	
	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127ज की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा सम्मिलित की जा रही है, जिसमें यह प्रावधान है कि निपटान आयोग की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।	[97]

II. <u>सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन</u>

क्र. सं.	धारा का संशोधन	वित्त विधेयक,
		2025 का खंड
1.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित	
	संशोधन करने का प्रस्ताव है, -	
	क) टैरिफ दर को 25%, 30%, 35%, 40% से घटाकर 20% करना	
	ख) टैरिफ दर को 150%, 125%, 100% से घटाकर 70% करना	
	ग) कुछ वस्तुओं पर टैरिफ दर को कम करें	
	घ) अनुसूची में प्रभावी दरों को टैरिफीकृत करना	[98]
	ङ) शीर्षक 1006 30 के अधीन प्रक्रिया के आधार पर (पारबोइल्ड,	
	अन्य) और किस्म के आधार पर (भौगोलिक पहचान रजिस्ट्री द्वारा	
	मान्यता प्राप्त चावल, बासमती, अन्य) नई टैरिफ मदे बनाना	
	च) उप-शीर्षक 2008 19 के अंतर्गत 'मखाना' उत्पादों (पॉप्ड, आटा और	
	पाउडर, अन्य) के अंतर्गत नए टैरिफ मद बनाना और परिणामस्वरूप	

मौजूदा प्रविष्टियों को फिर से क्रमांकित करना

- छ) उप-शीर्षक 2710 91 के अंतर्गत पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी), पॉलीक्लोरीनेटेड टेरफिनाइल्स (पीसीटी) या पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स (पीबीबी) में मौजूद विभिन्न स्तरों की सांद्रता वाले अपशिष्ट तेलों को अलग से पहचानने के लिए नए टैरिफ मद बनाना
- ज) अध्याय 28 में गैर-कीटनाशक उपयोग के लिए कुछ दोहरे उपयोग वाले रसायनों की पहचान के लिए नए टैरिफ मद बनाना
- झ) अध्याय 29 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा कवर किए गए गैर-कीटनाशक उपयोग के लिए कुछ दोहरे उपयोग वाले रसायनों और कुछ वस्तुओं की पहचान के लिए नए टैरिफ मद और पूरक नोट बनाना
- ज) अध्याय 38 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा कवर किए गए कुछ तकनीकी-ग्रेड कीटनाशकों और कुछ वस्तुओं की पहचान के लिए नए टैरिफ मद और पूरक नोट बनाना
- ट) क्रमशः शीर्षक 7106, 7108 और 7110 के अंतर्गत वजन के हिसाब से 99.9% या उससे अधिक चांदी हो, वजन के हिसाब से 99.5% या उससे अधिक सोना हो, वजन के हिसाब से 99% या उससे अधिक प्लैटिनम हो कीमती धातुओं को अलग करने के लिए नई टैरिफ मद बनाना
- ठ) डब्ल्यूसीओ एचएस 2022 के साथ संरेखित शीर्षक 8112 में परिवर्तन
- ड) डब्ल्यूसीओ एचएस 2022 के साथ संरेखित अध्याय 85 के टिप्पण 2 उप-शीर्षक में परिवर्तन

[ये परिवर्तन 1 मई, 2025 से प्रभावी होंगे]

[उद्देश्य:

क : सीमा शुल्क टैरिफ संरचना के युक्तिकरण और दर स्लैब में कमी को लागू करना ख: माल की बेहतर पहचान के लिए; टैरिफ लाइनों को WCO वर्गीकरण के साथ संरेखित करना III. <u>सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में शुल्क दरों में संशोधन</u>

	ााः सामा सुर्या टार्या जायागयम्, १७७७ यम यहसा अगुसूया म सुर्या परा म संसायग					
क	टैरिफ दर में वृद्धि (02 [वित विधेयक, 2025 का	.02.2025 से प्रभावी होगी) * खंड 98(क)]	शुल्क की दर			
	*अनंतिम कर संग्रहण	अधिनियम, 2023 के तहत				
	घोषणा के माध्यम से तुर	त प्रभावी होगी				
क्र.	टैरिफ मद	वस्तु	से	तक		
सं.						
		वस्त्र				
1.	6004 10 00	बुना हुआ फैब्रिक्स	20%/10%	20% या 115 रुपये		
	6004 90 00	-		प्रति किलोग्राम, जो भी		
	6006 22 00			अधिक हो		
	6006 31 00					
	6006 32 00					
	6006 33 00					
	6006 34 00					
	6006 42 00					
	6006 90 00					
		आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षे	त्र T			
2.	8528 59 00	इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले	10%	20%		
		(पूरी तरह से निर्मित यूनिट)				
ख	टैरिफ दर में कमी (जो र्	के 01.05.2025 से प्रभावी होगी	शु	ल्क की दर		
	जब तक कि अन्यथा वि	नेर्दिष्ट न हो) * [वित्त विधेयक,				
	2025 का खंड 98 (ख)]					
	नोट: ये परिवर्तन अधिर	मूचना जारी होने से 2 फरवरी,				
	2025 से प्रभावी होंगे।					

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
1.	25151100 2515 12	मार्बल और ट्रैवर्टीन, कच्चा या मोटे तौर पर छंटनी की गई, केवल ब्लॉक, स्लैब और अन्य में काटा गया	40%	20%
2.	2516 11 00 2516 12 00	ग्रेनाइट, कच्चा या मोटे तौर पर छंटनी की गई, केवल ब्लॉक, स्लैब और अन्य में काटा गया	40%	20%
3.	2933 59	संरचना में पिरिमिडीन रिंग (चाहे हाइड्रोजनीकृत हो या न हो) या पाइपरज़ीन रिंग युक्त अन्य यौगिक	10%	7.5%
4.	3302 10	खाय और पेय उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले मिश्रित गंधयुक्त पदार्थों और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस	100%	20%
5.	3406	मोमबत्तियाँ, टेपर और इसी तरह की अन्य सामग्री	25%	20%
6.	3822 90	रेफेरेंस मटीरियल	30%	10%
7.	3824 60	उप-शीर्षक 2905 44 के अलावा सोरबिटोल	30%	20%
8.	3920	अन्य प्लास्टिक की प्लेट, शीट, फिल्म, फोइल और पट्टी, गैर- सेलुलर और गैर-प्रबलित, लेमिनेटेड, समर्थित या इसी तरह से अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त	25%	20%
9.	3921	प्लास्टिक की अन्य प्लेट, शीट, फिल्म, फोइल और पट्टी	25%	20%

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
10.	6401	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी हिस्से के साथ जलरोधक जूते, जिनके ऊपरी हिस्से को न तो तलवों पर तय किया जाता है और न ही सिलाई, रिवेटिंग, नेलिंग, स्क्रूइंग, प्लगिंग या इसी तरह की प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ा जाता है	35%	20%
11.	6402	बाहरी तलवों वाले अन्य जूते और रबर और प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से	35%	20%
12.	6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े वाली बाहरी सोल के जूते जिनका उपरी हिस्सा चमड़े का बना हो	35%	20%
13.	6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े वाली बाहरी सोल के जूते जिनका उपरी हिस्सा कपडे का बना हो	35%	20%
14.	6405	अन्य जूते	35%	20%
15.	6802 10 00 6802 21 10 6802 21 20 6802 21 90 6802 23 10 6802 23 90 6802 29 00 6802 91 00 6802 92 00	स्मारकीय या इमारती पत्थर जिन पर काम किया गया हो	40%	20%

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
	6802 93 00			
16.	7113	आभूषण की वस्तुएं और उनके हिस्से	25%	20%
17.	7114	स्वर्णकारों और चांदीकारों के बर्तनों के सामान और उनके हिस्से	25%	20%
18.	7404 00 12 7404 00 19 7404 00 22	तांबे का वेस्ट और स्क्रैप	2.5%	शून्य
19.	8002	टिन का वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
20.	8101 97 00	टंगस्टन का वेस्ट और स्क्रैप	5%	श्न्य
21.	8102 97 00	मोलिब्डेनम का वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
22.	8103 30 00	टैंटलम का वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
23.	8105 30 00	कोबाल्ट का वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
24.	8106 90 10	बिस्मथ और बिस्मथ मिश्र धातुओं का वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
25.	8109 31 00, 8109 39 00	जिरकोनियम का वेस्ट और स्क्रैप	10%	शून्य
26.	8110 20 00	एंटीमनी का वेस्ट और स्क्रैप	2.5%	शून्य
27.	8112 13 00	बेरिलियम वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
28.	8112 41 20	रेनियम वेस्ट और स्क्रैप	10%	श्नय
29.	8112 61 00	कैडमियम वेस्ट और स्क्रैप	5%	श्न्य
30.	8541 42 00	सौर सेल	25%	20%
31.	8541 43 00	सौर मॉड्यूल और अन्य अर्धचालक	40%	20%

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
	8541 49 00	उपकरण और फोटोवोल्टायिक सेल		
32.	8702	10 या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन	40%	20%
33.	8703	मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं (शीर्ष 8702 के अलावा)	125%	70%
34.	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन	40%	20%
35.	8711	साइड-कार के साथ या उसके बिना सहायक मोटर से सुसज्जित मोटरसाइकिल और साइकिल	100%	70%
36.	8712 00 10	साइकिल	35%	20%
37.	8903	खेलकूद और आनंद के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज	25%	20%
38.	9028 30 10	प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत् मीटर (स्मार्ट मीटर)	25%	20%
39.	9401	सीटें (शीर्षक 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तर में परिवर्तित हो सकें या नहीं, और उनके हिस्से	25%	20%
40.	9403	अन्य फर्नीचर और उनके हिस्से	25%	20%
41.	9404	गद्दे के सहारे, बिस्तर के सामान और इसी तरह की साज-सज्जा आदि	25%	20%
42.	9405	सर्चलाइट और स्पॉटलाइट सहित प्रकाश उपकरण और प्रकाश फिटिंग	25%	20%

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		और उनके पुर्जे आदि		
43.	9503 00 91	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे	70%	20%
44.	9802 00 00	प्रयोगशाला रसायन	150%	70%
45.	9803 00 00	सभी शुल्क योग्य वस्तुएं, जो यात्री या चालक दल के सदस्य द्वारा अपने सामान में आयात की जाती हैं	100%	70%
46.	9804 00 00	व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य सामान	35%	20%
ਗ . 1.	बदलाव के बिना) जं	न (शुल्क की मौजूदा प्रभावी दर में ो कि 01.05.2025 से प्रभावी होगा, यथा निर्दिष्ट न किया जाए [वित्त खंड 98 (ख)]	शुल्क की 30%	20%
		ग्लिसरॉल लाइ		
2.	2603 00 00	तांबा अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
3.	2605 00 00	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
4.	2609 00 00	टिन अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
5.	2611 00 00	टंगस्टन अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
6.	2613 00 00	मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
7.	2615 10 00	जिरकोनियम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य
8.	2615 90 10	वैनेडियम अयस्क और सांद्र	2.5%	शून्य

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
9.	2615 90 20	नियोबियम या टैंटालम अयस्क और सांद्रण	2.5%	शून्य
10.	2617 10 00	एंटीमनी अयस्क और सांद्रण	2.5%	शून्य
11.	2711 12 00	द्रवीकृत प्रोपेन	15%	2.5%
12.	2711 13 00	द्रवीकृत ब्यूटेन	15%	2.5%
13.	2711 19 10	एलपीजी (गैर-ऑटोमोटिव उद्देश्य के लिए)	15%	5%
14.	2711 19 20	एलपीजी (ऑटोमोटिव उद्देश्य के लिए)	15%	5%
15.	2711 19 90	अन्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	15%	5%
16.	2809 20 10	फॉस्फोरिक एसिड	20%	7.5%
17.	2810 00 20	बोरिक एसिड	27.5%	7.5%
18.	3824 99 00	अन्य - तैयार बाइंडर, रासायनिक उत्पाद और रासायनिक या संबद्ध उद्योगो के प्रिपरेशन	17.5%	7.5%
19.	7210 12 10	ओटीएस/एमआर टाइप - फ्लैट रोल्ड उत्पाद 0.5 मिमी से कम	27.5%	15%
20.	7210 12 90	अन्य फ्लैट रोल्ड उत्पाद जिनकी मोटाई 0.5 मिमी से कम है	27.5%	15%
21.	7219 12 00	4.75 मिमी से अधिक या उसके बराबर मोटाई वाले कॉइल में हॉट- रोल्ड उत्पाद	22.5%	15%
22.	7219 13 00	3 मिमी से अधिक या बराबर लेकिन 4.75 मिमी से कम मोटाई के कॉइल में हॉट-रोल्ड उत्पाद	22.5%	15%
23.	7219 21 90	चौड़ाई 600 मिमी या उससे अधिक के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद - अन्य निकल क्रोमियम	22.5%	15%

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		ऑस्टेनिटिक प्रकार		
24.	7219 90 90	चौड़ाई 600 मिमी या उससे अधिक के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद - अन्य शीट और प्लेटें	22.5%	15%
25.	7225 11 00	अन्य मिश्र धातु स्टील के फ्लैट - रोल्ड उत्पाद - ग्रेन ओरिएंटेड, सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील	20%	15%
26.	7307 29 00	स्टेनलेस स्टील की अन्य ट्यूब और पाइप फिटिंग्स	25%	15%
27.	7307 99 90	लोहे या स्टील की अन्य फिटिंग, नॉन-गैल्वेनाय्ज़ड	25%	15%
28.	7308 90 90	लोहे और इस्पात की अन्य संरचना और संरचना के भाग	25%	15%
29.	7310 29 90	अन्य-टैंक और ड्रम आदि।	25%	15%
30.	7318 15 00	अन्य स्क्रू और बोल्ट नट के साथ या बिना	25%	15%
31.	7318 16 00	थ्रेडेड नट	25%	15%
32.	7318 29 90	अन्य गैर-थ्रेडेड सामग्री	25%	15%
33.	7320 90 90	लोहे/स्टील के अन्य स्प्रिंग एवं लीफ	25%	15%
34.	7325 99 99	लोहे या स्टील से बनी अन्य ढली हुई वस्तुएं	25%	15%
35.	7326 19 90	जाली या मुद्रांकित लेकिन आगे काम नहीं किए गए सामग्री	25%	15%
36.	7326 90 99	लोहे/इस्पात से बनी अन्य वस्तुएं	25%	15%
37.	8001	अपरिष्कृत टिन	5%	शून्य
38.	8101 94 00	अपरिष्कृत टंगस्टन, जिसमें सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और रॉड	5%	श्न्य

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		शामिल हैं		
39.	8102 94 00	अपरिष्कृत मोलिब्डेनम, जिसमें सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और रॉड शामिल हैं	5%	शून्य
40.	8103 20	अपरिष्कृत टैंटालम, जिसमें सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और रॉड शामिल हैं, पाउडर	5%	शून्य
41.	8105 20 20	कोबाल्ट, अपरिष्कृत	5%	शून्य
42.	8106 10 10	बिस्मथ, अपरिष्कृत	5%	शून्य
43.	8109 21 00	अपरिष्कृत ज़िरकोनियम, पाउडर, जिसमें वजन के हिसाब से 1 भाग से कम हेफ़नियम से लेकर 500 भाग ज़िरकोनियम होता है	10%	शून्य
44.	8110 10 00	अपरिष्कृत एंटीमनी, पाउडर	2.5%	शून्य
45.	8112 12 00	बेरिलियम अपरिष्कृत, पाउडर	5%	शून्य
46.	8112 31	हेफ़नियम अपरिष्कृत, वेस्ट और स्क्रैप, पाउडर	10%	शून्य
47.	8112 41 10	रेनियम अपरिष्कृत	10%	शून्य
48.	8112 69 10	कैडमियम अपरिष्कृत, पाउडर	5%	शून्य
49.	8112 69 20	कैडमियम, परिष्कृत	5%	शून्य

IV. <u>अधिसूचनाओं में मूल सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन से संबंधित अन्य प्रस्ताव</u>

क.	मूल सीमा शुल्क में परिवर्तन (02.02.2025 से प्रभावी)		शुल्क की दरें	
क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक, टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		एक्वाफार्मिंग और समुद्री निर्यात		
1.	0304 99 00	सुरीमी एनालॉग प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए, उत्पादन में उपयोग के	30%	5%

		लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी)		
2.	2301 20	एक्वेटिक फीड के निर्माण में उपयोग के लिए फिश हाइड्रोलिज़ेट	15%	5%
		लेदर		
3.	4104 11 00 4104 19 00 4105 10 00 4106 21 00 4106 31 00 4106 91 00	वेट ब्लू लेदर (स्किन और हाईड)	10%	शून्य
		रत्न एवं आभूषण क्षेत्र		
4.	7113	प्लैटिनम फ़ाईन्डिंग	25%	5%
		धातु स्क्रैप और लिथियम-आयन बैटरी वेस्ट और स्क्रैप		
5.	7802	लेड वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
6.	7902	जिंक वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
7.	8105 20 30	कोबाल्ट पाउडर	5%	शून्य
8.	8549 13 00 8549 14 00 8549 19 00	लिथियम-आयन बैटरी का वेस्ट और स्क्रैप	5%	शून्य
		आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र		
9.	8517	ईथरनेट स्विच कैरियर ग्रेड	20%	10%
10.	8524 8529	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल के निर्माण के लिए स्पर्श के साथ या बिना स्पर्श के फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए ओपन सेल, टच ग्लास शीट और टच सेंसर पीसीबी	15%/10%	5%
11.	8529	एलईडी/एलसीडी टेलीविजन पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल्स के इनपुट और भाग	2.5%	शून्य

12.	कोई भी अध्याय	सेलुतर मोबाइल फोन के मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मोड्यूल और कनेक्टर के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पार्ट्स/उप-पार्ट्स और सेलुलर मोबाइल फोन के निर्दिष्ट पार्ट्स जैसे वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल और सेलुलर मोबाइल फोन के फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट और रॉ मटेरियल	2.5%	शून्य
13.	कोई भी अध्याय	छूट प्राप्त कैपिटल गुड्स की सूची में इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण में उपयोग के लिए 35 कैपिटल गुड्स तथा मोबाइल फोन की लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण में उपयोग के लिए 28 कैपिटल गुड्स शामिल की गई हैं।	जैसा लागू हो	शून्य
14.	कोई भी अध्याय	अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क की प्रविष्टि क्रम संख्या 6घ के कॉलम 2 में संशोधन करना तथा मोबाइल फोन के यांत्रिकी के विनिर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए 'कोई अध्याय' शामिल करना।	जैसा लागू हो	10%
		ऑटोमोबाइल		
15.	8702	10 या उससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन	25%/40%	20%
16.	8703	मोटर कार और अन्य मोटर वाहन जिनका सीआईएफ मूल्य 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है या जिनकी इंजन क्षमता पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 3000 सीसी से अधिक और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 2500 सीसी से	100%	70%

		अधिक है या दोनों एक साथ		
17.	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन	25%/40%	20%
18.	8711	सीबीयू फॉर्म में 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें	50%	40%
19.	8711	एसकेडी फॉर्म में 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें	25%	20%
20.	8711	सीकेडी फॉर्म में 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें	15%	10%
21.	8711	सीबीयू फॉर्म में 1600 सीसी और उससे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें	50%	30%
22.	8711	एसकेडी फॉर्म में 1600 सीसी और उससे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें	25%	20%
23.	8711	सीकेडी फॉर्म में 1600 सीसी और उससे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें	15%	10%
		खिलौने		•
24	9503 00 91	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के भाग, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण के लिए	25%	20%
ख.	निर्यात शुल्क में प्रभावी)	में परिवर्तन (2 फरवरी, 2025 से	शुल्क की	ो दर
क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
1.	4104 41 00 4104 49 00 4105 30 00 4106 22 00 4106 32 00 4106 92 00	क्रस्ट लेदर (स्किन और हाईड)	20%	शून्य

V. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)

अधिसूचना संख्या 11/2021 - सीमा शुल्क दिनांक 01.02.2021 को संशोधित किया जा रहा है, निम्नलिखित वस्तुओं पर एआईडीसी दरों में परिवर्तन करने के लिए, (02.02.2025 से प्रभावी):

क्र. सं.	शीर्षक, उपशीर्षक,	माल	दर	
	टैरिफ मद		से	तक
1.	2515 11 00 2515 12	मार्बल और ट्रैवर्टीन, कच्चे या मोटे तौर पर छंटनी की गई, केवल ब्लॉक, स्लैब और अन्य में काटा गया	शून्य	20%
2.	2516 11 00 2516 12 00	ग्रेनाइट, कच्चे या मोटे तौर पर छंटनी की गई, केवल ब्लॉक, स्लैब और अन्य में काटा गया	शून्य	20%
3.	3406	मोमबत्तियाँ, टेपर और इसी तरह की अन्य सामग्री	शून्य	7.5%
4.	3920 or 3921	पीवीसी फ्लेक्स फिल्म्स, पीवीसी फ्लेक्स शीट्स, पीवीसी फ्लेक्स बैनर	शून्य	7.5%
5.	6401	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी सतह वाले जलरोधी जूते	शून्य	18.5%
6.	6402	बाहरी तलवों वाले अन्य जूते और रबर और प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से	शून्य	18.5%
7.	6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े वाली बाहरी सोल के जूते जिनका उपरी हिस्सा चमड़े का बना हो	शून्य	18.5%
8.	6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े वाली बाहरी सोल के जूते जिनका उपरी हिस्सा कपडे का बना हो	शून्य	18.5%
9.	6405	अन्य जूते	शून्य	18.5%

10.	6802 10 00 6802 21 10 6802 21 20 6802 21 90 6802 91 00	मार्बल के स्लैब	शून्य	20%
	6802 92 00	,		
11.	7113	प्लैटिनम फ़ाईनडिंग	शून्य	1.4%
12.	8541 42 00	सौर सेल	शून्य	7.5%
13.	8541 43 00 8541 49 00	सौर मॉड्यूल और अन्य अर्धचालक उपकरण और फोटोवोल्टायिक सेल	श्न्य	20%
14.	8702	10 या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन	शून्य	20%
15.	8702	अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के क्र. सं. 524 (1) (ख) के तहत आयात किए जाने पर 10 या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन	शून्य	5%
16.	8702	अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क के क्र. सं. 524 (2) के तहत आयात किए जाने पर 10 या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन	शून्य	20%
17.	8703	इस्तेमाल किया हुआ मोटर वाहन	शून्य	67.5%
18.	8703	मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो कम्प्लीटली नोक्ड डाउन और सेमी नोक्ड डाउन अवस्था में नहीं हैं, मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनका सीआईएफ मूल्य 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है	शून्य	40%
19.	8704	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन	श्नय	20%
20.	8704	अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क	शून्य	5%

		क्र. संख्या 525 (1) (ख) के तहत आयात		
		किए जाने वाले माल के परिवहन के लिए		
		मोटर वाहन		
		अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क		
21.	8704	के क्र. संख्या 525 (2) के अंतर्गत आयात	शस्य	20%
21.	0704	किए जाने पर 10 या अधिक व्यक्तियों के	शून्य	2070
		परिवहन के लिए मोटर वाहन		
		इस्तेमाल किया हुआ सहायक मोटर से		
22.	8711	सुसज्जित प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और	शून्य	40%
		साइकिलें, साइड-कार सहित या उसके बिना		
23.	8712 00 10	साइकिलें	शून्य	15%
24.	8903	खेलकूद और आनंद के लिए नौकाएं और	शून्य	7.5%
ΖΤ.	3333	अन्य जहाज		7.570
25.	90283010	प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत् मीटर	शून्य	7.5%
		(स्मार्ट मीटर)	~	
200	9401	सीटें (शीर्षक 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तर में परिवर्तित की जा सकती हों या	<u> </u>	F0/
26.	9401	नहीं, और उनके हिस्से	शून्य	5%
27.	9403	अन्य फर्नीचर और उसके हिस्से	शून्य	5%
27.	0.100	गद्दे का सहारा, बिस्तर की वस्तुएं और इसी	1,0 -1	070
28.	9404	प्रकार का सामान आदि।	शून्य	5%
		प्रकाश उपकरण और प्रकाश फिटिंग जिसमें		
29.	9405	सर्चलाइट और स्पॉटलाइट तथा उनके भाग	शून्य	5%
		आदि शामिल हैं।	``	
30.	9503 00 91	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के भाग	शून्य	20%
		इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के विनिर्माण के लिए		
31.	9503 00 91	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे (अधिसूचना	शून्य	7.5%
		संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7.070
		30.06.2017 का क्रम संख्या 591)		
00	0000 00 00	प्रयोगशाला रसायन (निर्दिष्ट अंतिम उपयोग		700/
32.	9802 00 00	के लिए 10% बीसीडी आकर्षित करने वाले रसायनों के अलावा)	शून्य	70%
		रसायणा यः अलापा)		

VI. सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस)

	अधिसूचना संख्या 11/2018 - सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018 में संशोधन
	(02.02.2025 से प्रभावी)
क्र. सं.	विवरण
	निम्नलिखित वस्तुओं को सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी जा रही है
1.	मोमबत्तियाँ, टेपर और इसी तरह की अन्य सामग्री
2.	शीर्ष 3920 या 3921 के अंतर्गत फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट सहित पीवीसी फ्लेक्स फिल्में
3.	सौर सेल
4.	खेलों के आनंद के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज़
5.	प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत् मीटर (स्मार्ट मीटर)
6.	सीटें (शीर्षक 9402 के अलावा), चाहे बिस्तर में परिवर्तित की जा सकें या नहीं, और
	उनके हिस्से
7.	अन्य फर्नीचर और उसके हिस्से
8.	गद्दे का सहारा, बिस्तर की वस्तुएं और इसी प्रकार का सामान आदि।
9.	प्रकाश उपकरण और प्रकाश फिटिंग जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट तथा उनके भाग
	आदि शामिल हैं।
10.	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के भाग
11.	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 के क्रम संख्या 356 और
	357 के तहत आयातित सोने/चांदी की वस्तुएं
12.	रबर या प्लास्टिक के बाहरी तलवों और ऊपरी सतह वाले जलरोधी जूते
13.	बाहरी तलवों वाले अन्य जूते और रबर और प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से
14.	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े वाली बाहरी सोल के जूते जिनका उपरी हिस्सा
	चमड़े का बना हो
15.	रबर, प्लास्टिक, चमड़े या मिश्रित चमड़े वाली बाहरी सोल के जूते जिनका उपरी हिस्सा
	कपडे का बना हो

16.	अन्य जूते
17.	व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुएं तथा विदेशी व्यापार
	(विकास और विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत आयात के संबंध
	में किसी प्रतिबंध से छूट ना मिली हो, ऐसी वस्तुएं।
18.	सौर मॉड्यूल और अन्य अर्धचालक उपकरण और फोटोवोल्टिक सेल
19.	10 या उससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन
20.	माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन
21.	पूर्णतः निर्मित रूप के अलावा मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से
	व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनका सीआईएफ मूल्य 40,000
	अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
22.	मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो भारत में आयात से पहले विदेश में पंजीकृत
	किए गए हैं अर्थात प्रयुक्त वाहन
23.	सहायक मोटर से सुसज्जित प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और साइकिलें, साइड-कार सहित या
	उसके बिना
24.	सी.टी.एच. 9802 00 00 के अंतर्गत प्रयोगशाला रसायन (निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के
	लिए 10% बी.सी.डी. आकर्षित करने वाले रसायनों को छोड़कर)
25.	यात्री या चालक दल के सदस्य द्वारा अपने सामान में आयातित शुल्क योग्य वस्तुएं,
	जिन्हें शीर्षक 9803 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

VII. सीमा शूल्क छुटों का पुनर्विलोकन

जून 30 तारीख , 2017 की अधिसूचना सं सीमा शूल्क में विहित बीसीडी की सह शर्त दरों-2017/50 . का पुनर्विलोकन

तारीख 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 - सीमा शूल्क में 25 सह शर्त छुटों/रियायती दर प्रविष्टियों द्वारा एक व्यापक पुनर्विलोकन किया गया है । पुनर्विलोकन के पश्चात्, 24 प्रविष्टियां, कुछ प्रविष्टियों में उपांतरण के साथ, भिन्न-भिन्न अविधयों के लिए जारी रखी जा रही हैं और एक प्रविष्टि समास की जा रही है ।

(उपांतरण के साथ या उपांतरण के बिना विस्तारित की जा रही छुटों/रियायत।)

क्रम	विवरण	प्रविष्टि सं.	समाप्ति
सं.			तारीख
1	विघटन के लिए पोत और जलयान	क्र.सं. 555क	31.3.2035
2	पोत/जलयान के विनिर्माण में प्रयोग के लिए कच्ची	क्र.सं. 559	31.3.2035
	सामग्री, घटक, उपयोज्य वस्तु या पूर्जे		
3	औषधि या औषधियों के विनिर्माण के लिए थोक में	क्र.सं. 166	31.3.2029
	औषधियां [सूची 3 में विनिर्दिष्ट औषधियों, डायग्नोस्टिक		
	किटों के लिए सूची में उपांतरणों के साथ एक पृथक्		
	सूची सृजित की जा रही है]		
4	पोलियो के टीके और मोनोकंपोनेंट इंसुलिन के	क्र.सं. 166क	31.3.2029
	विनिर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियां		
5	जीवन रक्षक औषधियों या औषधियों के निर्माण में	क्र.सं. 167	31.3.2029
	प्रयुक्त थोक औषधियां		
	[सूची 4 में विनिर्दिष्ट औषधियों, डायग्नोस्टिक किटों		
	के लिए सूची में उपांतरणों के साथ एक पृथक् सूची		
	सृजित की जा रही है]		
6	दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियां या		31.3.2029
	विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए खाय	क्र.सं. 607ख	
	(एफएसएमपी)		
7	जांच और/या प्रमाणन के प्रयोजन के लिए सूची 37 में	क्र.सं. 532क	31.3.2029
	विनिर्दिष्ट जांच अभिकरणों द्वारा आयातित सूची 36 में		
	विनिर्दिष्ट माल		
8	एपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए	क्र.स. 81क 	31.3.2027
	अपरिष्कृत ग्लिसरिन		0.1.0.00
9	औद्ययोगिक रसायनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए	क्र.स. 104ख 	31.3.2027
	विकृत ईथाइल एल्कोहल		0.4.6.55=
10	एक्वेटिक फीड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए फिश	क्र.सं. 104ग	31.3.2027
	मील		04.0.005=
11	दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर		31.3.2027
	केबलों के विनिर्माण के लिए माल	क्र.सं. 341,	
40		क्र.सं. 341क	04.0.0007
12	वस्त्रोद्योग मशीनरी (दो नई मशीनरी के संवर्धन के साथ)		31.3.2027
		क्र.सं. 460क	
		क्र.सं. 460ख	
		क्र.सं. 460ग	

		क्र.सं.	460घ	
13	वस्त्रोद्योग मशीनरियों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए	क्र.सं.	460ਝ	31.3.2027
	पूर्जे और घटक भाग			
14	एलसीडी और एलइडी टीवी पैनल के ओपन सैल के	क्र.सं.	515ख	31.3.2027
	विनिर्माण के प्रयोग के लिए माल			
15	लैब-ग्रोन हीरों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए बीजें	क्र.सं.	345ख	31.3.2026
	[आईजीसीआर शर्त को हटाया गया]			
16	वात संचालित विद्युत जेनरेटरों के विनिर्माण या रख-	क्र.सं.	405	31.3.2026
	रखाव के लिए वात संचालित विद्युत जेनरेटरों के पूर्ज			
	[प्रविष्टि को भी उपांतरित किया गया है]			
17	वात संचालित वियुत जेनरेटरों के लिए 500 किलोवाट	क्र.सं.	406	31.3.2026
	से ऊपर पीएम समक्रमिक जेनरेटरों के विनिर्माण के			
	लिए स्थायी चुबंक			

टिप्पण : प्रविष्टियों का विवरण निर्देशात्मक है । पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना को सन्दर्भ में लिया जाए ।

2) निम्नलिखित प्रविष्टि को एक अप्रैल, 2025 से समाप्त करना अनुज्ञात किया जा रहा है :

क्र.	50/2017-सीमा	विवरण
सं.	शूल्क का क्रम.	
	सं.	
1	489कक	टैरिफ मद 84146000 के अंतर्गत आने वाली विद्युत रसोई चिमनियों
		के विनिर्माण में प्रयोग के लिए हीट काईल

3) दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शूल्क में अन्य परिवर्तन निम्नलिखित प्रविष्टियों को उपांतरित किया जा रहा है :

क्र.	50/17-सीमा	संक्षिप्त विवरण
सं.	शूल्क का क्रम.	
	सं.	
1	257क	निर्यात के लिए हस्तशिल्प के निर्माण में प्रयोग के लिए शुल्क रहित
		मदों की सूची में समुद्री सीप, गोंद इत्यादि जैसी मदों के 9 नए समूह
		जोड़े जा रहे हैं । हस्तशिल्प के निर्यात के लिए समयावधि को भी 6
		माह से बढ़ाकर एक वर्ष किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त और तीन

		माह के लिए विस्तारित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है ।
2	539	उपग्रहों और पेलोडों के लिए आधारिक सहस्थापन और ऐसे सहस्थापन
		के अतिरिक्त इसकी पूर्जे और खपने योग्य सामग्री के आयात के लिए
		बीसीडी छूट विस्तारित की जा रही है।
3	539क	प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के प्रक्षेपण के निर्माण में प्रयोग के लिए
		माल पर बीसीडी छूट प्रदान की जा रही है ।

टिप्पणः प्रविष्टियों का विवरण निर्देशात्मक है । पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना को सन्दर्भ में लिया जाए।

ख. दिनांक 20 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 16/2017-सीमा शुल्क और दिन 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क का संशोधन

अधिसूचना सं.	संक्षिप्त विवरण
16/2017-सीमा	अधिसूचना विनिर्दिष्ट औषधियों पर संपूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है,
शुल्क, तारीख 20	जहाँ फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा रोगी सहायता कार्यक्रम के अधीन
अप्रैल, 2017	रोगियों को मुफ्त में यह औषधियां प्रदान की जा रही हैं। सूची में 37
	नई औषधियां और 13 रोगी सहायता कार्यक्रम जोड़े जा रहे हैं ।
153/94-सीमा	वर्तमान में, विदेश जनित वस्तुओं को भारत में रख-रखाव, मरम्मत और
शुल्क, तारीख 14	पूर्ण मरम्मत के लिए भारत में आयात किया जा सकता है अगर उनके
जुलाई, 1994	छह माह के भीतर निर्यात हो जो एक वर्ष तक विस्तारणीय है। रख-रखाव,
	मरम्मत और पूर्ण मरम्मत के लिए आयातित रेलवे माल के मामले में
	निर्यात के लिए अवधि को छह मास से एक वर्ष बढ़ाया गया है जो आगे
	एक वर्ष के लिए विस्तारणीय है।

टिप्पण : प्रविष्टियों का विवरण निर्देशात्मक है । पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना को को सन्दर्भ में लिया जाए ।

VIII. आईजीसीआर उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल) नियम (का आयात, 2017

अंतिम रूप से उपयोग को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को वर्तमान छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने के लिए नियम 6 और 7 का संशोधन किया जा रहा हैं। साथ ही आयातकों को अब मासिक स्टेटमेंट के बजाय तिमाहि स्टेटमेंट ही भरना होगा।

केन्द्रीय उत्पाद शूल्क

1. केन्द्रीय उत्पाद शूल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

क्र. सं.	संशोधन	वित्त अधिनियम,
		2025 का खंड
	ये परिवर्तन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।	
1	"समझौते और लंबित आवेदन के लिए अंतिरम बोर्ड" को परिभाषित	[99]
	करने के लिए धारा 31 संशोधित की जा रही है ।	
2	लंबित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए और यह उपबंध करने	[100]
	के लिए कि प्रत्येक लंबित आवेदन पर अंतरिम बोर्ड द्वारा उस प्रक्रम	
	से विचार किया जाएगा जिस प्रक्रम पर ऐसे लंबित आवेदन इसके	
	गठन से ठीक पूर्व था, एक या अधिक अंतरिम बोर्ड स्थापित करने के	
	लिए एक नई धारा 31क अंत:स्थापित की जा रही है ।	
3	धारा 32 की उपधारा (1) में एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए	[101]
	अंतःस्थापित किया जा रहा है कि सीसीईएससी 1 अप्रैल, 2025 को	
	या उसके पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहेगा ।	
4	इन सभी धाराओं में एक परंतुक अंत:स्थापित करके धारा 32क,	[102 से 105]
	32ख, 32ग और 32घ को संशोधित किया जा रहा है जिससे यह	
	उपबंध किया जा सके कि इन धाराओं के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को	
	या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।	
5	धारा 32ङ की उपधारा (5) के साथ एक परंतुक अंत:स्थापित किया	[106]
	जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2025 को	
	या उसके पश्चात् इस धारा के अधीन कोई नया आवेदन नहीं किया	
	जाएगा ।	
6	धारा 32च "समझौता आयोग" अभिव्यक्ति के स्थान पर "अंतरिम	[107]
	बोर्ड" प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित की जा रही है जिससे धारा	
	32ङ के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अंतरिम बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट	
	प्रक्रिया लागू होगी । इसके अतिरिक्त, अंतरिम बोर्ड को इसके गठन के	
	तीन माह के भीतर लंबित आवेदनों का निपटारा करने के लिए समय-	
	सीमा को इसके गठन से 12 माह तक विस्तार करने के लिए लेखबद्ध	
	किए गए कारणों से अनुज्ञात करने के लिए एक नई उपधारा	
	पुर:स्थापित की जा रही है ।	
7	धारा 32छ, 32झ, 32ञ, 32ट, 32ठ, 32ढ, 32इ और 32त संशोधित	[108 से 115]
	की रही हैं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2025 को	
	और उसके पश्चात् इन धाराओं के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों	
	और कर्तव्यों का प्रयोग अंतरिम बोर्डों द्वारा किया जाएगा ।	

सेवा कर

क्रम सं.	भूतलक्षी छूट	वित्त विधेयक 2025
		के खंड
1.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू बी सी	[130]
	आई एस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	
	(एमएनएआईएस) के अधीन पुनर्बीमा सेवाओं के	
	माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की गई या प्रदान	
	करने के लिए सहमति सेवाओं को 1 अप्रैल, 2011	
	से प्रारंभ होकर 30 जून, 2017 तक की अवधि के	
	लिए भूतलक्षी प्रभाव से सेवा कर से छूट देने का	
	प्रस्ताव है ।	

माल और सेवा कर

टिप्पण:

- क) जीएसटी अधिनियम से अभिप्रेत है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
- ख) वित्त विधेयक, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे जब उन्हें समवर्ती रुप से अधिसूचित किया जाएगा जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, जहां तक संभव हो, राज्यों और विधान मंडल के साथ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पारित समान अधिनियमों में तत्स्थानी संशोधनों के साथ अधिसूचित होंगे।

I. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन

क्रम	संशोधन	वित्त विधेयक,
सं.		2025 के खंड
1	केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (61) में संशोधन	[116]
	किया जा रहा है जिससे कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की	
	धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के संदर्भ को अंत:स्थापित	
	करके अंर्तराज्य आपूर्ति जिस पर उत्क्रम प्रभार के आधार पर कर का	
	संदाय किया जाना है, की बाबत इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर	
	के वितरण के लिए स्पष्ट रुप से उपबंध किया जा सके। यह संशोधन 1	
	अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।	
2	धारा 2 के खंड (69) के उपखंड (ग) का संशोधन किया जा रहा है	[116]
	ताकि "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर "नगरपालिका	
	निधि या स्थानीय निधि" रखा जा सके और उक्त उपखंड के बाद एक	
	स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके, ताकि उक्त खंड के अंतर्गत	
	"स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा में प्रयुक्त "स्थानीय निधि और	
	नगरपालिका निधि" शब्दों की परिभाषा का उपबंध किया जा सके	
	जिससे कि उक्त निबंधनों की परिधि स्पष्ट की जा सके।	
3	ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट पहचान चिन्हांकन की	[116]
	परिभाषा उपबंध किए जाने के लिए धारा 2 में नया खंड (116क)	
	अंत:स्थापित किया जा रहा है ।	
4	(i) वाउचरों की बाबत आपूर्ति के समय से संबंधित धारा 12 की	[117,118]
	उपधारा 4 का लोप किया जा रहा है ।	
	(ii) वाउचरों की बाबत आपूर्ति के समय से संबंधित धारा 13 की	
	उपधारा (4) का लोप किया जा रहा है ।	
5	धारा 17 की उपधारा 5 के खंड (घ) में संशोधन करके "संयंत्र या	[119]

क्रम	संशोधन	वित्त विधेयक,
सं.		2025 के खंड
	मशीनरी" शब्दों के स्थान पर "संयंत्र और मशीनरी" का प्रतिथापन करके	
	संशोधन किया जा रहा है । यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी	
	प्रभाव से प्रभावी होगा, भले किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण	
	के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई विपरीत बात क्यों न हो	
6	धारा 20 (1) और धारा 20(2) में संशोधन किया जा रहा है जिससे	[120]
	कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)	
	और उपधारा (4) के संदर्भ को धारा 20 की उक्त धाराओं में	
	अंतःस्थापित करके अंर्तराज्य आपूर्ति जिस पर उत्क्रम प्रभार के आधार	
	पर कर का संदाय किया जाना है, की बाबत इनपुट सेवा वितरक द्वारा	
	इनपुट कर के वितरण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जा सके। यह	
	संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।	
7	धारा 34 की उपधारा (2) के परंतुक को संशोधित किया जा रहा है	[121]
	जिससे कि पंजीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट की बाबत आपूर्तिकर्ता के	
	कर दायित्व को कम करने के प्रयोजनार्थ यदि उसका लाभ उठाया	
	गया हो, तो संबंधित इनपुट टैक्स को उत्क्रम की आवश्यकता के लिए	
0	स्पष्ट रुप से उपबंध किया जा सके।	[100]
8.	धारा 38(1) में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि उपधारा में इनपुट पर क्रेडिट के विवरण के संबंध में "स्वत: उत्पन्न" अभिव्यक्ति का लोप	[122]
	किया जा सके।	
9.	धारा 38(2) में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि उपधारा में इनप्ट	[122]
J.	पर क्रेडिट के विवरण के संबंध में "स्वतः उत्पन्न" अभिव्यक्ति का लोप	[الكك]
	किया जा सके तथा उक्त धारा के खंड "ख" में "के कारण" शब्दों के	
	पश्चात् "सम्मिलित" अभिव्यक्ति को अंतःस्थापित किया जाएगा ताकि	
	उक्त खंड को और अधिक समावेशी बनाया जा सके।	
10	धारा 38(2) में उक्त धारा में एक नया खंड (ग) अंत:स्थापित करके	[122]
	संशोधन किया जा रहा है जिससे इनपुट कर क्रेडिट के विवरण में	
	उपलब्ध किए जाने के लिए अन्य ब्यौरे विहित करने के लिए एक	
	सक्षम उपबंध किया जा सके।	
11	धारा 39 (1) में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि उक्त धारा के	[123]
	अधीन विवरणी फाइल करने के लिए शर्ते और प्रतिबंध विहित करने के	
	लिए एक सक्षम खंड का उपबंध किया जा सके।	
12	धारा 107 (6) में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि किसी कर की	[124]
	मांग के बिना केवल शास्ति की मांग वाले मामलों में अपीली प्राधिकरण	

क्रम	संशोधन	वित्त विधेयक,
सं.		2025 के खंड
	के समक्ष अपील के लिए शास्ति राशि का 10 प्रतिशत अनिवार्य पूर्व	
	जमा किया जा सके।	
13	धारा 112(8) में संशोधन करके किसी कर की मांग के बिना केवल	[125]
	शास्ति की मांग वाले मामलों में अपीली अधिकरण के समक्ष अपील के	
	लिए शास्ति राशि का 10 प्रतिशत अनिवार्य पूर्व जमा करने का उपबंध	
	किया जा सके।	
14	धारा 148क के अधीन ट्रैक और ट्रेस तंत्र से संबंधित उपबंध के	[126]
	उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करने हेतु नई धारा 122बी	
	अंत:स्थापित की जा रही है।	
15	विशिष्ट वस्तुओं के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र हेतु सक्षम तंत्र का उपबंध	[127]
	करने के लिए नई धारा 148क का अंत:स्थापन किया जा रहा है।	
16	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 8 में एक	[128]
	नया खंड (कक) अंतःस्थापित करके तारीख 1 जुलाई, 2017 से संशोधन	
	किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि निर्यात हेतु	
	मंजूरी से पूर्व अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र को आपूर्ति से पूर्व किसी व्यक्ति	
	को "विशेष आर्थिक क्षेत्र" या "मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र" में रखे गए	
	माल की आपूर्ति को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं	
	की आपूर्ति समझा जाएगा ।	
17	इसके अतिरिक्त, यह विधेयक केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, की	[128]
	अनुसुची III के स्पष्टीकरण 2 को तारीख 1/7/2017 से संशोधित किया	
	जाना प्रस्तावित करता है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त	
	स्पष्टीकरण उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में लागू होगा।	
18	केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में स्पष्टीकरण 3	[128]
	अंत:स्थापित करके तारीख 1/7/2017 से संशोधन किया जा रहा है	
	जिससे कि उक्त अनुसूची के पैरा 8 में प्रस्तावित खंड (कक) के प्रयोजन	
	के लिए "विशेष आर्थिक क्षेत्र" "मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र" और "घरेलू	
	टैरिफ क्षेत्र" को परिभाषित किया जा सके ।	
19	खंड 128 में विनिर्दिष्ट लेनेदेन के लिए पहले से संदाय किए गए कर की	[129]
	कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी ।	

